

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05042023-244945 CG-DL-E-05042023-244945

> असाधारण EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 215]

No. 215]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 31, 2023/चैत्र 10, 1945 NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 31, 2023/CHAITRA 10, 1945

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2023

सं. बीईई/एसएंडएल/ एलईडी/52/2023.—ब्यूरो, केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुज्ञा से, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (सेल्फ बालास्ट एलईडी लैंप के लेबल पर उनके संप्रदर्शन करने का विवरण और रीति), संशोधन विनियमन 2018, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) की धारा 58 की उपधारा 2 के खंड (i), धारा 13 की उपधारा (2) के खंड (एन) के साथ पढ़ा जाये, द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए, निम्नलिखित मसौदा नियम संशोधन के लिये प्रस्तावित करता है, और इस अधिनियम की धारा 59 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार, इससे प्रभावित होने वाले सभी लोगों की जानकारी के लिये यहां प्रकाशित करता है। नोटिस दिया जाता है कि इस मसौदा विनियमों पर, इस अधिसूचना के साथ राजपत्र की प्रतियां सार्वजनिक किये जाने की तारीख से तीस दिन की अविध पूरी होने पर या बीत जाने के बाद, विचार किया जायेगा।

कोई भी आपत्ति या सुझाव, यदि हो तो, महानिदेशक, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, विद्युत मंत्रालय, चौथा तल, सेवा भवन, आर.के.पुरम, सेक्टर 1, नयी दिल्ली-110066 को भेजा जा सकता है।

मसौदा विनियमों के संदर्भ में किसी भी व्यक्ति से, उपर्युक्त पैरा 1 में निर्दिष्ट तीस दिन की अवधि समाप्त होने से पहले, प्राप्त सुझावों पर ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा विचार किया जायेगा।

- 1. लघु शीर्षक और प्रारंभ (1) ये विनियम ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (सेल्फ बालास्ट एलईडी लैंप के लेबल पर उनके संप्रदर्शन करने का विवरण और रीति), संशोधन विनियम 2023 कहे जायेंगे। (2) ये विनियम सरकारी गजट में प्रकाशित होने की तारीख से लागू हो जायेंगे।
- 2. परिभाषा -(1) इन विनियमों में यदि संदर्भ की अलग अपेक्षा नहीं है तो -
 - (क) "अधिनियम" का अर्थ है ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 (2001 का 52);

2182 GI/2023 (1)

- (ख) "फैमिली मॉडल" का अर्थ है वैसे मॉडल का समूह जिनके लिये कार्यनिष्पादन के सभी मानक समान हैं;
- (ग) "प्ररूप" का अर्थ है इन विनियमों से संबंधित प्ररूप:
- (घ) "लेबल" का अर्थ है सेल्फ बालास्ट लैंप से लगी या इसपर दीख रही किसी भी प्रकार की लिखित, छपी, चिन्हित, मुहर लगी या ग्राफिक सामग्री
- (ङ) "लेबल अवधि" का अर्थ है अधिनियम की धारा 14 के खंड (क) के तहत केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित ऊर्जा उपभोग मानदंड के अंतर्गत प्रकाश क्षमता की वैधता अवधि:
- (च) यदि प्रकाशन क्षमता की वैधता समाप्त होने की अविध अधिसूचित नहीं है तो यह केन्द्रीय सरकार द्वारा इसके लिये नये मूल्य अधिसूचित होने तक वैध माना जायेगा;
- (छ) "अनुज्ञापत्रधारी" का अर्थ है ऐसा व्यक्ति या एजेंसी जिसे विनियम 7 के तहत लेबल लगाने की अनुज्ञा दी गयी है;
- (ज) "शिड्यूल" का अर्थ है इन विनियमों से संलग्न निर्धारण;
- (झ) "सेल्फ बालास्ट एलईडी लैंप" का तात्पर्य अधिनियम की धारा 14 के खंड (क) के तहत अधिसूचना में निर्दिष्ट उपकरण से है;
- (ञ) "स्टार रेटिंग" का तात्पर्य है अधिनियम की धारा 14 के खंड (क) के तहत केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित प्रकाशन क्षमता मानक के आधार पर सेल्फ बालास्ट एलईडी लैंप के लेबल पर प्रदर्शित ऊर्जा सक्षमता की श्रेणी;
- (ट) "व्यापारी" का अर्थ लेबल लगे सेल्फ बालास्ट एलईडी लैंप की बिक्री या वितरण करने वाले से है और इसमें दुकानदार, व्यापारी, निर्माता और अनुज्ञापत्रधारी आते हैं जिन्हें सेल्फ बालास्ट एलईडी लैंप पर लेबल लगाने की अनुज्ञा दी गयी है।
- (2) यहाँ प्रयुक्त और अपरिभाषित, र्कितु अधिनियम में परिभाषित, शब्द और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो अर्थ उनके लिये अधिनियम में प्रयुक्त है।
- 3. **लोगो पर प्रदर्शित किया जाने वाला विवरण (1)** प्रत्येक सेल्फ बालास्ट एलईडी लैंप के लेबल पर निम्नलिखित विषय प्रदर्शित किया जायेगा
 - (क) ऊर्जा दक्षता ब्यूरो का लोगो;
 - (ख) विनिर्माता या आयातक और ब्रांड का नाम;
 - (ग) ट्रेड नाम और संख्या:
 - (घ) मॉडल और विनिर्माण या आयात वर्ष;
 - (ङ) विशिष्ट श्रृंखला कोड;
 - (च) वाट में बिजली उपभोग;
 - (छ) ल्युमेन में ल्युमिनस फ्लक्स;
 - (ज) एलएम/डबल्यू में प्रकाशन प्रभावकारिता;
 - (झ) सेल्फ बालास्ट एलईडी लैंप का स्टार लेवल;
 - (অ) लेबल अवधि;
 - (ट) केडबल्यूएच में बिजली बचत;
 - (ठ) केजीसीओ₂ में कार्बन डायक्साइड उत्सर्जन में कमी;
 - (2) लेबल का डिजाइन, रंग, आकार, और विषयवस्तु इन विनियमों में संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट किये अनुसार होना चाहिये।
- 4. **लेबल संप्रदर्शित के लिये समय सीमा** (1) विनियम 3 में निर्दिष्ट सभी विवरण के साथ लेबल प्रत्येक सेल्फ बालास्ट एलईडी लैंप पर, इन विनियमों के लागू होने के बाद, 6 महीने के भीतर लगा दिये जायेंगे।
 - (2) अधिनियम की धारा 14 के खंड (क) के तहत केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित संशोधित ऊर्जा उपभोग मानक लागू हो जाने पर, प्रत्येक अनुज्ञापत्रधारी या व्यापारी या विक्रेता-

- (क) पहले के ऊर्जा खपत मानकों के साथ सेल्फ बालास्ट एलईडी लैंप नहीं बेच सकेगा;
- (ख) संशोधित ऊर्जा उपभोग मानकों और सेल्फ बालास्ट एलईडी लैंप के विनिर्माण वर्ष के साथ संशोधित उपभोग मानकों के अनुरूप संशोधित स्टार लेवल और लेबल अवधि प्रदर्शित करेगा;
- (ग) डीलरों, खुदरा विक्रेताओं की जागरुकता सहित उनकी जानकारी और उपभोक्ताओं की सजगता के लिये जरूरी प्रचार सहित सुनियोजित और आवश्यक अग्रिम उपाय करेगा।

5. लेबल संप्रदर्शित करने का तरीका -

- (1) प्रत्येक सेल्फ बालास्ट एलईडी लैंप पर क्यूआर कोड के साथ लेबल लगा होगा और इसे बिक्री स्थल पर प्रदर्शित किया जायेगा। यह लेबल सेल्फ बालास्ट एलईडी लैंप पर इस तरीके से लगाया जायेगाः-
- (क) पैकेजिंग पर प्रिंटेड क्युआर कोड के साथ स्वयं चिपकने वाला लेबल;
- (ख) सेल्फ बालास्ट एलईडी के कैप पर रेटिंग के अनुसार स्टार मार्किंग अंकित या छपी होगी; और
- (ग) एलईडी लैंप पर स्टार मार्किंग के लिये स्टैंप का आकार ऊंचाई में 11.5 मि.मी. और चौड़ाई में 8.5 मि.मी. होना चाहिये और क्यूआर कोड 8.5 मि.मी.ऊंचा और 8.5 मि.मी. चौड़ा होना चाहिये।
- 6. **लेबल संप्रदर्शित करने के लिये अनुज्ञा (1)** ब्यूरो की पूर्व अनुज्ञा के बिना किसी भी सेल्फ बालास्ट एलईडी लैंप पर स्टार लेबल नहीं लगाया जा सकता।
 - (2) कंपनी पंजीकरण ब्यूरो की अनुज्ञा प्राप्त करने के लिये प्रत्येक ब्रांड को अलग से पंजीकृत होना होगा, जैसा कि प्ररूप I-(क) में निर्दिष्ट है, इलेक्ट्रॉनिक भगतान माध्यम से भगतान योग्य एक लाख रुपए के लेबल सुरक्षा फीस के साथ।

परन्तु यह उपबंधित है कि लघु उद्योगों लिये लेबल सुरक्षा फीस केवल 25 हजार रुपए होगा।

- (3) मॉडल पंजीकरण उपविनियम 2 के तहत अनुज्ञापत्रधारी के प्रत्येक आवेदन के साथ होना चाहिये –
- (क) प्रति मॉडल दो हजार रुपए का आवेदन फीस, इलेक्ट्रॉनिक भुगतान माध्यम से भुगतान योग्य, और
- (ख) प्ररूप । में निर्दिष्ट दस्तावेज
- 7. **अनुज्ञा प्रदान किया जाना** (1) विनियम 6 के अंतर्गत आवेदन प्राप्त होने और सभी अपेक्षाओं के अनुपालन से संतुष्ट होने के बाद, ब्यूरो, मानक और लेबलिंग नियमावली में निर्दिष्ट समयाविध के भीतर, विनियम 8 में निर्दिष्ट नियम और शर्तों के अधीन
 - (क) ब्रांड को प्ररूप II (क) में, इलेक्ट्रॉनिक रूप से रजिस्टर कर लेता है; और
 - (ख) सेल्फ बालास्ट एलईडी लैंप पर लेबल लगाने की अनुज्ञा प्ररूप II में, इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रदान कर देता है।
- (2) ब्यूरो प्ररूप III में एक रजिस्टर का प्रबंध करेगा और उसमें अनुज्ञापत्रधारी का नाम दर्ज कर लेगा।
- (3)उप विनियम (1) के तहत इस प्रकार स्वीकृत मंजूरी उस अवधि तक वैध रहेगी जबतक केन्द्रीय सरकार द्वारा धारा 14 के खंड (क) के तहत अधिसूचित ऊर्जा उपभोग मानक द्वारा निर्दिष्ट स्टार लेवल लागू रहेगा।
- (4)स्टार रेटिंग योजना में संशोधन की स्थिति में, अनुज्ञापत्रधारी द्वारा नवीकरण की अनुज्ञा के लिये, स्टार रेटिंग की अविध समाप्त होने के पहले एक महीने के अंदर आवेदन देना होगा और साथ में ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, नयी दिल्ली के पक्ष में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भुगतान योग्य एक हजार रुपए का फीस देना होगा।

परन्तु, यह उपबंधित है कि स्टार रेटिंग योजना विस्तारित होने की स्थिति में एक हजार रुपए के नवीकरण फीस से छूट दी जायेगी।

- (5)वैधता अविध समाप्त होने के बाद किसी भी आवेदन पर नवीकरण नहीं किया जायेगा और तब अनुज्ञापत्रधारी को नया आवेदन देना होगा।
- (6)उपविनियम (4) के अंतर्गत नवीकरण के लिये आवेदन प्राप्त होने पर और सभी अपेक्षाओं के अनुपालन के प्रति संतुष्ट होने पर, ब्यूरो आवेदन प्राप्त होने के एक महीने के अंदर ब्यूरो प्ररूप II में अनुज्ञा का नवीकरण कर सकता है।
- (7)जो अनुज्ञापत्रधारी, संशोधित स्टार लेबल लागू हो जाने की तारीख के बाद से सेल्फ बालास्ट एलईडी लैंप के वर्तमान मॉडल पर लेबल लगाना जारी रखने की अनुमित चाहता है, उसे केवल प्ररूप IV में घोषणा जमा करनी होगी।

(8)यदि संशोधित स्टार लेबल की अनुरूपता में सेल्फ बालास्ट एलईडी लैंप का नया मॉडल शुरू किये जाने की योजना है तो अनुज्ञापत्रधारी को नया लेबल लगाने की अनुज्ञा लेनी होगी और इस अनुज्ञा के लिये आवेदन संशोधित स्टार लेवल के लागू होने के 6 महीने पहले करना होगा।

- 8. **लेबल पर ब्योरा संप्रदर्शित किये जाने के नियम और शर्तें –** प्रत्येक अनुज्ञापत्रधारी, व्यापारी और विक्रेता को लेबल पर विवरण प्रस्तुत में निम्नलिखित नियम और शर्तों का अनुपालन करना होगा –
 - (क) प्रत्येक सेल्फ बालास्ट एलईडी लैंप के लेबल पर प्रदर्शित किया जाने वाला स्टार लेवल केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 14 के खंड (क) के तहत सेल्फ बालास्ट लैंप के लिये अधिसूचित ऊर्जा उपभोग मानकों के अनुरूप होगा;
 - (ख) सेल्फ बालास्ट लैंप के केवल उन मॉडल पर ही लेबल लगाया जा सकेगा जिनके लिये अनुज्ञा दी गयी है;
 - (ग) सेल्फ बालास्ट लैंप पर लेबल केवल अनुज्ञापत्रधारी के व्यय पर ही प्रिंट होगा और लगाया जायेगा
 - (घ) अनुज्ञापत्रधारी, व्यापारी और विक्रेता यह सुनिश्चित करेंगे कि सेल्फ बालास्ट लैंप के लेबल पर प्रदर्शित लेबल हर समय बना रहे;
 - (ङ) अनुज्ञापत्रधारी विनियम 9 में निर्दिष्ट लेबल फीस का भुगतान करेगा;
 - (च) अनुज्ञापत्रधारी ब्यूरो को एक विवरण प्रस्तुत करेगा जिसमें लेबल युक्त उपकरण के निर्माण तथा वित्तीय वर्ष की प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के बाद वाले महीने में प्रत्येक तिमाही के लिये बकाया प्रोद्भूत लेबलिंग फीस का ब्योरा होगा:
 - (छ) अनुज्ञापत्रधारी प्रत्येक वर्ष के 30 अप्रैल तक अपने लेबलयुक्त उत्पादों की बिक्री के लिये नियुक्त किये अधिकृत वितरकों, डीलरों, खुदरा विक्रेताओं और विक्रेताओं का विवरण ब्यूरो को सौंपेगा;
 - (ज) अनुज्ञापत्रधारी, व्यापारी और विक्रेता ब्यूरो की नियमावली में मानक और लेबलिंग पर शामिल विनियमों सहित ऐसे अन्य नियम और शर्तों का भी अनुपालन करेंगे जिसे ब्यूरो निर्दिष्ट करेगा।
- 9. **लेबल फीस –** (1) प्रत्येक अनुज्ञापत्रधारी ब्यूरो को सेल्फ बालास्ट एलईडी लैंपों पर लगने वाले प्रत्येक लेबल के लिये ब्यूरो को पांच पैसे प्रति लेबल की दर से लेबल फीस का भुगतान करेगा।
 - (2) उपविनियम (1) के तहत निर्दिष्ट लेबल फीस का भुगतान ब्यूरो को वार्षिक रूप से प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समापन तारीख से एक महीने के अंदर करना होगा।

परन्तु, यह उपबंधित है कि निर्दिष्ट अवधि के भीतर लेबल फीस का भुगतान नहीं करने पर ब्यूरो बकाया राशि की वसूली दस प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ, विनियम 6 के उपविनियम (3) के तहत जमा किये गये लेबल सुरक्षा फीस से करेगा, और यदि पूरा लेबिलेंग फीस जमा किये जाने की तारीख के एक वर्ष के अंदर वसूल नहीं होता है तो ब्यूरो अनुज्ञापत्रधारी को स्वीकृत किये गये सभी लेबल रद्द कर सकता है और अनुज्ञापत्रधारी का नाम समाचार पत्रों में डिफॉल्टर के रूप में प्रकाशित कर सकता है।

- 10. **लेबल सुरक्षा फीस की वापसी –** विनियम 9 के उपविनियम (2) के प्रावधानों के अधीन अनुज्ञापत्रधारी, सेल्फ बालास्ट एलईडी लैंप का विनिर्माण बंद कर देने पर, लेबल सुरक्षा फीस वापस ले सकेगा।
- 11. **ब्यूरो द्वारा पृष्टि-** (1) ब्यूरो और उसकी मनोनीत एजेंसी, या तो स्वतः संज्ञान से या कोई शिकायत मिलने पर, इस बात की पुष्टि करा सकती है कि सेल्फ बालास्ट एलईडी लैंप स्टार लेवल और इसके लेबल पर प्रदर्शित ब्योरे के अनुरूप हैं और ये अनुज्ञा के अन्य नियम और शर्तों का अनुपालन करते हैं।
 - (2) पुष्टि के लिये ब्यूरो या उसकी मनोनीत एजेंसी विनिर्माण केंद्र, भंडार, खुदरा बिक्री केंद्र, जहां से भी वे उचित समझें, अचानक नमूने उठा सकती है।
 - (3) उपिविनियम (1) के तहत शिकायत प्राप्त होने पर ब्यूरो को सेल्फ बालास्ट एलईडी लैंप के परीक्षण की पुष्टि, परीक्षण और अंशापन प्रयोगशालाओं के लिये राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड द्वारा प्रत्यायित किसी स्वतंत्र प्रयोगशाला में करानी चाहिये। यह जांच कराये जाने के बारे में अनुज्ञापत्रधारी को प्ररूप V में नोटिस जारी किया जाना होगा और शिकायतकर्ता को नमूना लागत, परीक्षण, परिवहन और अन्य संभावित व्यय, ब्यूरो द्वारा निर्धारित समय पर जमा करने के लिये कहा जायेगा। उपबंधित है कि यदि परीक्षण की चुनौती दिया गया सैंपल जांच में विफल रहता है तो अनुज्ञापत्रधारी परीक्षण में लगे सभी व्यय का भुगतान ब्यूरो को करेगा,

और ब्यूरो इसे शिकायतकर्ता को वापस कर देगा। और यदि उपकरण परीक्षण पर खरा उतरता है तो शिकायतकर्ता द्वारा परीक्षण के लिये जमा करायी गयी राशि ज़ब्त हो जायेगी।

- (4) जहां स्वतःसंज्ञान परीक्षण या चुनौती परीक्षण के दौरान सेल्फ बालास्ट एलईडी लैंप के नमूने कसौटी पर खरे नही उतर पाते वहां अनुज्ञापत्रधारी को एक मौका और दिया जायेगा। ब्यूरो दूसरा परीक्षण, पहली बार से दुगुनी संख्या में सेल्फ बालास्ट एलईडी लैंप लेकर करेगा। इस बार यह जांच, परीक्षण और अंशापन प्रयोगशालाओं के लिये राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड द्वारा प्रत्यायित किसी अन्य स्वतंत्र प्रयोगशाला में, अनुज्ञापत्रधारी के व्यय पर करायी जायेगी। ब्यूरो अनुज्ञापत्रधारी को उपविनियम (3) और दूसरे परीक्षण के लिये उपविनियम (4) में संदर्भित यह चुनौती परीक्षण देखने और नमूनों की खरीद और परीक्षण में लगने वाले व्यय के लिये प्ररूप V में सूचित करेगा।
- (5) यदि दूसरी जांच भी विफल हो जाती है तो ब्यूरो -
 - (क) सभी राज्य प्राधिकृत एजेंसियों को सूचना के तहत, प्ररूप VI में अनुज्ञापत्रधारी को सूचित करेगा कि वह दो महीने के अंदर –
 - (i) सेल्फ बालास्ट एलईडी लैंप पर दिया गया स्टार लेवल विवरण सही करा ले या परीक्षण के दौरान पायी गयी त्रुटियों और खामियो को दूर करे।
 - (ii) ब्यूरो के निर्देश का अनुपालन करते हुए बाजार से पूरा स्टॉक वापस ले ले, और
 - (iii) विज्ञापन में दिया गया विवरण बदल दे
 - (ख) उपभोक्ताओं के हित में दो महीने के अंदर संबंधित अनुज्ञापत्रधारी का नाम, ब्रांड का नाम, मॉडल का नाम या मॉडल संख्या, लोगो तथा अन्य विवरण किसी राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दैनिक समाचार पत्र में या किसी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में या किसी अन्य तरीके से, जैसा भी वह उचित समझता हो, प्रकाशित करेगा, और
 - (ग) संबंधित राज्य प्राधिकृत एजेंसी को अनुज्ञापत्रधारी और व्यापारी के खिलाफ अधिनियम की धारा 27 के तहत न्यायिक कार्रवाई शुरू करने के लिये कहेगा।
- (6) अनुज्ञापत्रधारी उपविनियम (5) में उल्लिखित दो महीने की अवधि पूरी होने के दस दिन के अंदर ---
 - (क) ब्यूरो को उसके निर्देशों के अनुपालन में की गयी कार्रवाई की रिपोर्ट प्ररूप VII में भेजेगा, और
 - (ख) यदि खंड (क) में उल्लिखित अनुपालन रिपोर्ट निर्दिष्ट समयसीमा में प्राप्त नहीं होती है या बिना किसी निर्देश का अनुपालन किये प्राप्त होती है तो यह ब्यूरो द्वारा जारी निर्देशों और आदेशों का गैरअनुपालन माना जायेगा।
 - (7) ब्यूरो उपविनियम 6 के खंड (क) में उल्लिखित अनुपालन रिपोर्ट और खंड (ख) पारित आदेशों की प्रति, आवश्यक दस्तावेजों के साथ सभी राज्य प्राधिकृत एजेंसियों को अधिनियम की धारा 17 के तहत जरूरी कार्रवाई और उपर्युक्त उपविनियम के खंड (ख) के तहत पारित आदेशों के प्रवर्तन के लिये भेजेगा।
 - (8) जहां अनुज्ञापत्रधारी ब्यूरो द्वारा उपविनियम (5) के तहत जारी निर्देशों के अनुपालन में विफल रहता है, तो ब्यूरो सभी राज्य प्राधिकृत एजेंसियों को सूचित कर –
 - (क) अनुज्ञापत्रधारी को विनियम 7 के उपविनियम (1) तहत स्वीकृत अनुज्ञा वापस ले लेगा।
 - (ख) अनुज्ञापत्रधारी द्वारा अधिनियम की धारा 14 के खंड (क) के तहत केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित ऊर्जा उपभोग मानकों पर खरा उतरने में विफलता की पुष्टि करने वाली परीक्षण रिपोर्ट, अधिनियम की धारा 14 के खंड (ग) के तहत विचार और कार्रवाई के लिये उपविनियम (6) के खंड (क) में उल्लिखित ब्यूरो के निर्देशों के साथ अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजेगा।
 - (ग) उपभोक्ताओं के हित में दो महीने के अंदर संबंधित अनुज्ञापत्रधारी का नाम, ब्रांड का नाम, मॉडल का नाम या मॉडल संख्या, लोगो तथा अन्य विवरण किसी राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दैनिक समाचार पत्र में या किसी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में या किसी अन्य तरीके से, जैसा भी वह उचित समझता हो, प्रकाशित करेगा, और
 - (घ) संबंधित राज्य प्राधिकृत एजेंसी को अनुज्ञापत्रधारी और व्यापारी के खिलाफ अधिनियम की धारा 27 के तहत न्यायिक कार्रवाई शुरू करने के लिये कहेगा।
- 12. अनुज्ञा रद्द किया जाना- ब्यूरो विनियम 7 के तहत प्रदत्त अनुज्ञा रद्द कर सकता है.यदि अनुज्ञापत्रधारी --

- (क) विनियम 8 में निर्दिष्ट किसी भी नियम और शर्त के अनुपालन में विफल रहता है,
- (ख) विनियम 9 के तहत निर्दिष्ट अवधि में लेबल फीस का भगतान नहीं कर पाता.
- (ग) विनियम 11 के तहत जारी निर्देशों का अनुपालन नहीं कर पाता,
- (घ) उपबंधित है कि कोई भी आवेदन अनुज्ञापत्रधारी को अनुज्ञा रद्द किये जाने के संदर्भ में उसका पक्ष सुने जाने का उचित अवसर दिये बिना रद्द नहीं किया जायेगा।

अभय बाकरे, महानिदेशक

[विज्ञापन-III/4/असा./741/2022-23]

प्ररूप I – (क)

(विनियम 6 (2) देखें)

(कंपनी के लेटरहेड में मुद्रण हेत्)

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (सेल्फ बालास्ट एलईडी लैंप के लेबल पर उनके संप्रदर्शन करने का विवरण और रीति) विनियम, 2023 के अंतर्गत सेल्फ बालास्ट एलईडी लैंप के ब्रांड के पंजीकरण के लिये आवेदन

महानिदेशक

ऊर्जा दक्षता ब्युरो.

(विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार) चौथा तल, सेवा भवन,

सेक्टर-1, आर.के.पुरम, नयी दिल्ली- 110066,भारत

मैं/हम सेल्फ बालास् एलईडी लैंप का/के विनिर्माता हूँ/हैं, हमारा व्यवसायसे (पूरा व्यावसायिक पता),.....के नाम (व्यक्ति या कंपनी का पूरा नाम) से संचालित होता है, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (सेल्फ बालास्ट एलईडी लैंप के लेबल पर संसंप्रदर्शन विवरण और ढंग) विनियम,2023 में ब्यूरो के विनिर्देश के अनुसार सेल्फ बालास्ट एलईडी लैंप पर लेबल लगाने की अनुज्ञा के लिये आवेदन करता/करते हूँ/हैं।

- 2. उपकरण, कंपनी, विनिर्माण केंद्र और भुगतान से संबंधित जानकारी का विवरण अनुलग्नक में दिया गया है। कंपनी का नाम और इसके विनिर्माण परिसरों की पुष्टि में कंपनी रजिस्ट्रार या सोसायटी या निर्देशक, उद्योग (लघु उद्योग इकाइयों के संदर्भ में) द्वारा जारी निगमन प्रमाणपत्र की फोटो प्रति या अन्य समान दस्तावेज संलग्न हैं।
 - (क) आवेदक/अधिकृत व्यक्ति(नाम और पद) कंपनी/फर्म या अन्य प्राधिकरणों की ओर से आवेदन करने के लिये अधिकृत हैं और वे इस आवेदन के साथ दी जाने वाली जानकारी की प्रामाणिकता के लिये उत्तरदायी होंगे।
 - (ख) संपर्क व्यक्ति.....(नाम और पद) इस आवेदन और लेबल के उपयोग के संदर्भ में ब्यूरो के साथ समन्वय के लिये संपर्क व्यक्ति के रूप में अधिकृत हैं।
 - (ग) मैं/हम उपर्युक्त (क) और (ख) में निर्दिष्ट अधिकृत व्यक्तियों में किसी परिवर्तन के बारे में ब्यूरो को सूचित करने का दायित्व लेता हूँ / लेते हैं।
 - 3. उपरोक्त उपकरण का उत्पादन और विक्रय आंकड़ा और मूल्य मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी और अनुमानों के अनुसार इस प्रकार है:

वर्ष	उत्पादन	बिक्री	उपकरण का अधिकतम खुदरा मूल्य
पिछले वर्षसेतक			
वर्तमान वर्षसे(अनुमान)			

- 4. एक लाख रुपए या 25 हजार रुपए, जैसा भी विषय हो,4. लेबल सुरक्षा फीस के रूप में एक लाख रुपए या पच्चीस हजार रुपए, जो भी लागू हो का भुगतान इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कर दिया गया है (लेबल सुरक्षा फीस जमा करते समय भरा जाना है)।
- 5. मैं/हम ब्यूरो द्वारा निर्दिष्ट लेबलिंग फीस के भुगतान के लिये सहमत हूँ/हैं।

- 6. मैं/हम ब्यूरो द्वारा निर्दिष्ट सभी नियमों और शर्तों के अनुपालन के लिये सहमत हूँ/हैं और ब्यूरो को किसी भी जांच की स्थिति में आवश्यक सहायता/सहयोग उपलब्ध कराने को तैयार हैं।
- 7. मैं/हम ऊर्जा दक्षता ब्यूरो को पृष्टि और चुनौती परीक्षण के लिये नमूना लेने को अधिकृत करते हैं इस संदर्भ में ब्यूरो का निर्देश मानने के लिये तैयार हूँ/हैं।
- 8. मैं/हम दायित्व लेते हैं कि आवेदन में दी गयी सभी सूचना मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी में सही है और यदि कोई भी जानकारी गलत पायी जाती है तो आवेदन रद्द किया जा सकता है।

	0			c
ताराख.	ादन.	मास	'वा	И

हस्ताक्षर	 • •	 	
नाम	 	 	
पद	 	 	
कृते एवम् उनकी ओर से	 	 	
(फर्म का नाम)) / फर्म की महर			

अनुलग्नक

(प्ररूप। (क) का पैरा 2 देखें)

1. कंपनी का विवरण

हाँ / नहीं

2. विनिर्माण परिसर का ब्योरा (एक से अधिक निर्माण केंद्र की स्थिति में अलग तालिका दी जा सकती है)।

विनिर्माण केंद्र का नाम	
पता	
पिन कोड	
राज्य/देश	
फोन नं.	
फैक्स नं.	
ई मेल	
वेब साईट	
कोई अन्य विवरण (यदि हो तो)	

हस्ताक्षर
नाम
पद
कृते एवम् उनकी ओर से
(फर्म का नाम)
फर्म की मुहर

प्ररूप ।
(विनियम 6 देखें)
ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (सेल्फ बालास्ट लैंप के लेबल पर संसंप्रदर्शन का विवरण और ढंग) विनियम, 2023 के अंतर्गत सेल्फ बालास्ट एलईडी लैंप पर लेबल लगाने के लिये आवेदन
महानिदेशक
(विद्युत मंत्रालय,भारत सरकार
चौथा तल, सेवा भवन,
सेक्टर-1, आर.के.पुरम,
नयी दिल्ली- 110066,
भारत
1. मैं/हम सेल्फ बालास्ट एलईडी लैंप का/के विनिर्माता या आयातक हूँ/हैं, हमारा व्यवसायसे (पूरा
व्यावसायिक पता),के नाम (व्यक्ति या कंपनी का पूरा नाम) से संचालित होता है, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (सेल्फ बालास्ट एलईडी
लैंप के लेबल पर उनके संप्रदर्शन करने का विवरण और रीति) विनियम, 2023 में ब्यूरो के विनिर्देश के अनुसार सेल्फ बालास्ट एलईडी
लैंप पर लेबल लगाने की अनुज्ञा के लिये आवेदन करता/करते हूँ/हैं।
2. विनिर्माण केंद्रः उपरोक्त उपकरण(कंपनी का नाम) द्वारा विनिर्मित/आयात किया जाता है और इसका विनिर्माण(कारखाने का नाम) में होता है।

3.	सूचना विवरणः उपकरण, कंपनी, विनिर्माण केंद्र, उत्पाद परीक्षण प्रमाणन, लेबल और भुगतान से संबंधित जानकारी का विवरण
	अनुलग्नक में दिया गया है। कंपनी का नाम और इसके विनिर्माण परिसरों की पुष्टि में कंपनी रजिस्ट्रार या सोसायटी या निर्देशक,
	उद्योग (लघु उद्योग इकाइयों के लिये) द्वारा जारी निगमन प्रमाणपत्र की फोटो प्रति या अन्य समान दस्तावेज संलग्न हैं।

- (क) आवेदक/अधिकृत व्यक्ति(नाम और पद) कंपनी/फर्म इत्यादि की ओर से आवेदन करने के लिये अधिकृत हैं और वे इस आवेदन के साथ दी जाने वाली जानकारी की प्रामाणिकता के लिये उत्तरदायी होंगे।
- (ख) संपर्क व्यक्ति.....(नाम और पद) इस आवेदन और लेबल के उपयोग के संदर्भ में ब्यूरो के साथ समन्वय के लिये संपर्क व्यक्ति के रूप में अधिकृत हैं।
- (ग) मैं/हम उपर्युक्त (क) और (ख) में निर्दिष्ट अधिकृत व्यक्तियों में किसी परिवर्तन के बारे में ब्यूरो को सूचित करने का दायित्व लेता हूँ/लेते हैं।
- 4. मानकों से अनुरूपताः मैं/हम आईएस/अन्य (मानक का नाम और संख्या)...... के अनुसार गुणवत्ता प्रणाली/ अन्य मानदंडो के संदर्भ में भारतीय मानक ब्यूरो/अन्य अंतर्राष्ट्रीय मानक निकायों से समनुरूपता रखते हैं,जैसा कि(उपकरण का नाम) के लिये(अधिसूचना का शीर्षक) में निर्दिष्ट किया गया है। उपरोक्त उपकरण के संदर्भ में लाइसेंस/ प्रमाणपत्र की प्रति संलग्न है।

हमने अपनी इन-हाउस प्रयोगशाला.....या स्वतंत्र प्रयोगशाला(प्रयोगशाला का नाम और पता),जो राष्ट्रीय परीक्षण और अंशापन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड- एनएबीएल या अंतरराष्ट्रीय प्रयोगशाला प्रत्यायन सहयोग – आईएलएसी या एशिया प्रशांत प्रयोगशाला प्रत्यायन सहयोग- एपीएलएसी या समतुल्य निकायों द्वारा मान्य है, में परीक्षण की व्यवस्था की है। इसका उद्देश्य उपकरणों की गुणवत्ता मे निरंतरता बनाये रखने के साथ साथ संबंधित भारतीय मानक/अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन/अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रो-टेक्निकल आयोग मानको की व्यापकता बनाये रखना है, जैसा कि एस.ओ,में निर्दिष्ट है......

- क) परीक्षण मानदंड (जांच प्रक्रिया/नाम/संख्या)
- ख) मान्यता स्थिति
- ग) ऊर्जा दक्षता ब्यूरो अनुमोदन
- 5. उपरोक्त उपकरण का निर्माण और विक्रय आंकड़ा तथा मूल्य, हमारी सर्वोत्तम जानकारी और अनुमानों के अनुसार इस प्रकार है:

वर्ष	उत्पादन	बिक्री	उपकरण का एमआरपी(रुपए में)
पिछले वर्षसेतक			
वर्तमान वर्षसे(अनुमान)			

- 6 (क) दो हजार रुपए के आवेदन फीस का इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भुगतान किया गया।
 - (ख) एक लाख रुपए या 25 हजार रुपए...... का भुगतान इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कर दिया गया है।
 - (ग) मैं/हम ब्यूरो द्वारा निर्दिष्ट लेबलिंग फीस के भुगतान के लिये सहमत हूँ/हैं।
- 7. मैं/हम ब्यूरो द्वारा निर्दिष्ट सभी नियमों और शर्तों के अनुपालन के लिये सहमत हूँ/हैं और ब्यूरो को किसी भी जांच की स्थिति में आवश्यक सहायता/सहयोग उपलब्ध कराने को तैयार हैं।
- 8. मैं/हम ऊर्जा दक्षता ब्यूरो को पुष्टि और चुनौती परीक्षण के लिये नमूना लेने को अधिकृत करते हैं इस संदर्भ में ब्यूरो का निर्देश मानने के लिये सहमत हूँ/हैं।
- 9. मैं/हम दायित्व लेते हैं कि आवेदन में दी गयी सभी सूचना मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी में सही है और यदि कोई भी जानकारी गलत पायी जाती है तो आवेदन रद्द किया जा सकता है।

ताराख	ादन	मास	ਰਯ

हस्ताक्षर		•••••	 	• • • • •	•••	•••	••
नाम			 				
पद			 				
कृते एवम्	ओर से		 				
(फर्म क	ा नाम)						
फर्म की	महर						

[प्ररूप 1 का पैरा 3 देखें]

सूचना का विवरण

1. उत्पाद/उपकरण का विवरण

1.1 सामान्य (प्रयोज्य विवरण प्रदान करें)

उपकरण और प्रकार
ब्रांड नाम
माडल का नाम और संख्या
रेटिड वोल्टेज या वोल्टेज रेंज
रेटिड वोल्टेज (वॉट)
रेटिड लुमिनस फ्लक्स (लुमिन्स)
रेटिड लुमिनस प्रभावकारिता (लुमिन्स/वॉट)
स्टार रेटिंग

1.2 तकनीकी विवरण (प्रयोज्य विवरण प्रदान करें)

क) मूल्यांकित मान :

क्र सं	मापित मान		मूल्यांकित मान	
1.	मापित मान (वोल्टेज)		मूल्यांकित वाटेज (वॉट)	
2.	मापित ल्युमिनस फ्लक्स (लुमिन्स)		मूल्यांकित ल्युमिनस फ्लक्स (लुमिन्स)	
3.	मापित ल्युमिनस प्रभावकारिता (लुमिन/वॉट)		मूल्यांकित ल्युमिनस प्रभावकारिता (लुमिन/वॉट)	

2. परीक्षण प्रयोगशाला का विवरण

परीक्षण प्रयोगशाला का नाम	
प्रत्यायन की स्थिति	हां/नहीं
(i) प्रयोगशाला के लिए	
(ii) सम्बद्ध मानक के लिए	
(प्रत्यायन प्रमाणपत्र की प्रति संलग्न करें)	

प्रत्यायन की वैधता	
(अपेक्षित दस्तावेज संलग्न करें)	
पता	
पिन कोड	
राज्य	
राज्य फोन नम्बर	
फैक्स नम्बर	
ईमेल	
वेबसाइट	


3. लेबल संबंधी सूचना

प्रारंभ होने की तारीख				
बीईई के लिए प्रयुक्त पहले वर्ष के लिए -	लेबलों की	संख्या		
दूसरे वर्ष के लिए -				
् तीसरे वर्ष के लिए -				
उत्पाद क्रमांक			से तक	

4. मॉडल विवरण:

मॉडल	मॉडल का नाम/मॉडल नम्बर

सेल्फ-बालास्ट एलईडी लैंप पर चिपकाए जाने वाले क्यूआर कोड के साथ लेबल का नमूना नीचे दिखाया गया है





तारीख	हस्ताक्षर
	नाम
	पदनाम
	कृते एवं उनकी ओर से
	(फर्म का नाम)
	फर्म की मुहर
	प्ररूप II – (क)
	[विनियम 7 (1) (क) देखें]
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	न के ब्रांड के पंजीकरण की अनुज्ञा (सेल्फ बालास्ट एलईडी लैंप के लेबल पर उनके का विवरण और रीति) विनियम, 2023
	नई दिल्ली, तारीख
सेवा में,	
का विवरण और रीति) विनियम, 2023	क. क्या अंतर है? सेल्फ-बालास्ट एलईडी लैंप के लेबल पर उनके संप्रदर्शन करने , के विनियम 7 के प्रावधानों के अनुपालन में ब्यूरो एतद्वारा आपको इस पत्र के के ब्यौरे के अनुसारअपना ब्रांड पंजीकरण करने की अनुज्ञा प्रदान करता है।

- 2. यह अनुज्ञा निम्नांकित के अधीन है—
 - (क) सेल्फ-बालास्ट एलईडी लैंप के लेबल पर प्रदर्शित स्टार स्तर अधिनियम की धारा 14 के खंड (क) के तहत अधिसूचित सेल्फ-बालास्ट एलईडी लैंप के लिए ऊर्जा खपत मानकों और उपरोक्त विनियमों में प्रदान की गई शर्तों के अनुरूप होगा
 - (ख) केवल सेल्फ-बालास्ट एलईडी लैंप के ऐसे मॉडल पर लेबल की मोहर लगाना जिसके लिए अनुज्ञा दी गई है;
 - (ग) अनुज्ञापत्रधारक की लागत पर सेल्फ-बालास्ट एलईडी लैंप पर लेबल की प्रिंटिंग और चिपकाना ;
 - (घ) अनुज्ञापत्रधारी सुनिश्चित करेगा कि सेल्फ-बालास्ट एलईडी लैंप पर प्रदर्शित स्टार स्तर हर समय बनाए रखा जाएगा;
 - (ङ) अनुज्ञापत्रधारक, ब्यूरो द्वारा निर्दिष्ट लेबल फीस का भुगतान ;
 - (च) अनुज्ञापत्रधारक लेबल युक्त उपकरण के उत्पादन के विवरण और वित्तीय वर्ष की प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के अगले महीने के भीतर देय प्रोद्भूत लेबल फीस का ब्यौरा ब्यूरो को प्रस्तुत करेगा। यही विवरण ब्यूरो को स्वचालित प्रणाली के माध्यम से भी प्रस्तुत किया जाएगा;
 - (छ) अनुज्ञापत्रधारक अनुज्ञा प्रदान किए गए सेल्फ-बालास्ट एलईडी लैंप के बारे में ब्यूरो द्वारा मांगे जाने पर अन्य विवरण उपलब्ध कराएगा।

(सचिव)

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

3.	अनुज्ञापत्रधारक वैधता अवधि के दौरान ब्यूरो के पूर्व अनुमोदन के बिना पंजीकृत ब्रांड और सेल्फ-बालास्ट एलईडी लैंप को बाजार से वापस नहीं लेगा।
4.	ब्रांड के लिए ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा निर्दिष्ट विशिष्ट लेबल सीरीज़ कोड है, जो अनुमोदित डिजाइन के अनुसार लेबल पर दिखाई देना चाहिए।
5.	वर्ष के महीने की तारीख को मुहर सहित हस्ताक्षर।
	भवदीय,

अनुलग्नक [प्ररूप II-(क) का पैरा 1 देखें] अनुमोदनों का विवरण

1. कंपनी का ब्यौरा

कंपनी का नाम	
पता	
पिन कोड	
राज्य	
फोन नम्बर	
फैक्स नम्बर	
ईमेल	
वेबसाइट	

- 2. पंजीकृत ब्रांड का नाम:
- 3. विशिष्ट सीरीज कोड:
- 4. अन्य ब्यौरा यदि लागू हो:

तारीख:

भवदीय,

(सचिव)

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

प्ररूप II

[उप-विनियम 7 (1) (ख)]

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (सेल्फ-बालास्ट एलईडी लैंप के लेबल पर उनके संप्रदर्शन करने का विवरण और रीति) विनियम, 2023 के तहत सेल्फ-बालास्ट एलईडी लैंप पर लेबल लगाने की अनुज्ञा/नवीनीकरण

14	THE	GAZETTE OF INDIA : EXTRAOF	RDINARY	[PART III—SEC.4]
			नई '	दिल्ली, तारीख
सेवा में,				
f	वेनियम, 2023, के विनियम 7 के	ल्फ-बालास्ट एलईडी लैंप के लेबल पर उ प्रावधानों के अनुपालन में ब्यूरो एतद्वारा		•
		न लगाने की अनुज्ञा प्रदान करता है।		
	ह अनुज्ञा निम्नांकित के अधीन है—			
(ব	सेल्फ-बालास्ट एलईडी लैंप वे	के लेबल पर प्रदर्शित स्टार स्तर अधिनि जिए ऊर्जा खपत मानकों और उपरोक्त	वेनियमों में प्रदान की ग	ई शर्तों के अनुरूप होगा;
(ख	•	लैंप के ऐसे मॉडल पर लेबल लगाना, जि		~
(য	, ,	र सेल्फ-बालास्ट एलईडी लैंप पर लेबल		
(E	, ,	रेगा कि सेल्फ-बालास्ट एलईडी लैंप पर प्र	दर्शित स्टार स्तर हर सम	मय बनाए रखा जाएगा;
(ड	, ,	निर्दिष्ट लेबल फीस का भुगतान ;	, , , , ,	
(=		उपकरण के उत्पादन के विवरण और वि लेबल फीस का ब्यौरा ब्यूरो को प्रस्तुत व ⊓एगा;		
(<u>ह</u>	ष्ठ) अनुज्ञापत्रधारक अनुज्ञा प्रदान	न किए गए सेल्फ-बालास्ट एलईडी लैंप	के बारे में ब्यूरो द्वारा म	गांगे जाने पर अन्य विवरण <u>्</u>
	उपलब्ध कराएगा।			
3.		तक के लिए मान्य होगी। ारक की अनुज्ञा की वैधता अवधि के दौर ों लेगी।		
4.	,	् यूरो द्वारा निर्दिष्ट विशिष्ट लेबल श्रृंखला व	कोड है, जो अनु	मोदित डिज़ाइन के अनुसार
5.	केन्द्रीय सरकार द्वारा समीक्षा प स्टार स्तर को निम्नानुसार संशो	र स्टार स्तर की योजनाओं को संशोधित धित किया जाएगा:-	किया जाता है, वहां से	त्फ-बालास्ट एलईडी लैंप वे
	(क) यदि नया मॉडल संशोधित	त स्टार स्तर के साथ सिंक्रनाइज़ करते हु ा तारीख से छह महीने पहले किया जाएग		
	(ख) जहां मौजूदा मॉडल संशो। प्रस्तुत की जाएगी।	धित स्टार स्तर को प्रभावी बनाना जारी	रखता है, केवल प्ररूप	V में एक घोषणा ब्यूरो के
	6 वर्ष के	महीने की तारीख को मुहर स	ाहित हस्ताक्षर।	
				(सचिव
				ऊर्जा दक्षता ब्यूरे
		अनुलग्नक		
		[प्ररूप II का पैरा 1 देखें]		
		अनुमोदनों का विवरण		
	तरण का विवरण -			
` ′	ब्रांड :			
	मॉडल विवरण:	T		
मॉड	ल	मॉडल नाम	मॉडल नम्बर	
		i		


(ग) तकनीकी विशेषता:

क्र सं	मापित मान		रेटिड वेल्यू	
	वाटेज (वाट)		वाटेज (वाट)	
	ल्युमिनस फ्लक्स (लुमिन्स)		ल्युमिनस फ्लक्स (लुमिन्स)	
	ल्युमिनस प्रभावकारिता (लुमिन/वॉट)		ल्युमिनस प्रभावकारिता (लुमिन/वॉट)	

2. लेबल विवरण

उपकरण और उसका प्रकार	
उत्पादक/आयातक/ब्रांड का नाम	
मॉडल और विनिर्माण का वर्ष	
स्टार लेवल	
रेटिड वॉटेज (वॉट)	
रेटिड ल्युमिनस फ्लक्स (लुमिन्स)	
रेटिड ल्युमिन्स प्रभावकारिता (लुमिन्स/वाट)	
लेबल अवधि	
विशिष्ट सीरीज़ कोड	

- 3. लेबल डिजाइन, आकार, रंग योजना, लेबल के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री और ब्यूरो के लोगो के लेबल और रंग योजना की सामग्री इस विनियम की अनुसूची में निर्दिष्ट की जाएगी।
- 4. सेल्फ-बालास्ट एलईडी लैंप पर चिपकाए जाने के लिए ब्यूरो द्वारा विधिवत अनुमोदित लेबल का नमूना नीचे दिखाया गया है (मॉडल के समूह के लिए अलग नमूना संलग्न है)।





तारीख

भवदीय

(सचिव)

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

प्ररूप III [विनियम 7 का उपनियम (2) देखें]

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा परिमट धारकों का रजिस्टर रखा जाएगा (टेम्प्लेट)

क्र. सं	आवेदन संख्या और अनुज्ञा की तारीख	अनुज्ञापत्रधारक का नाम और ब्यौरा (संपर्क व्यक्ति, पता, पिन कोड, राज्य, फोन नम्बर, फैक्स नम्बर, ईमेल,	लिए अनुज्ञा दी	घोषित	ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा ली गई अनुज्ञा संख्या और विशिष्ट लेबल सीरीज	अवधि, जिसके लिए अनुज्ञा दी गई
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

लेबल सुरक्षा फीस की राशि	आज तारीख तक प्राप्त लेबल सुरक्षा फीस (इलेक्ट्रानिक लेनदेन का ब्यौरा): तारीख :	आवेदन फीस के रूप में प्राप्त राशि	प्राप्त आवेदन फीस का ब्यौरा (इलेक्ट्रानिक लेनदेन का ब्यौरा): तारीख:
(8)	(9)	(10)	(11)

प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान	प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए	प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए प्राप्त	अभ्युक्ति
चिपकाए गए लेबलों की कुल	ऊर्जा दक्षता ब्यूरो को देय फीस	की गई लेबलिंग फीस की राशि	
संख्या	की राशि	(इलेक्ट्रानिक लेनदेन का	
		ब्यौरा): तारीख :	
(12)	(13)	(14)	(15)

प्ररूप IV

[नियम 7 का उपनियम 7 देखें]

मौजूदा मॉडल पर लेबल लगाने की अनुज्ञा जारी रखने की मांग करने वाले अनुज्ञापत्रधारक द्वारा घोषणा (प्रत्येक अलग मॉडल के लिए, संबंधित अनुबंध के साथ एक अलग पत्र प्रस्तुत किया जाएगा)

(कॉर्पोरेट	निकाय/अनुज्ञापत्रधारक	के	लेटर	हेड	पर)
١	1.1 11 12	1 1 101 10 -1 (2211 1 1 201 / 10	٠,	.10	$(, \circ)$	' '

_																
नारीकः																
ताराख:	_	_	_	_	_	_	 	-	_	_	_	_	_	_	_	_

सेवा में

महानिदेशक

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

(विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार)

चौथा तल, सेवा भवन,

सेक्टर 1, आर के पुरम,

नई दिल्ली - 110066

भारत

विषय: तारीख से स्टार स्तर के बाद संशोधन के बाद ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (सेल्फ-बालास्ट एलईडी लैंप के लेबल पर उनके संप्रदर्शन करने का विवरण और रीति) विनियम, 2017 के तहत लेबल लगाने की अनुज्ञा के लिए आवेदन

- 1. मैं/हम [व्यक्ति या फर्म का पूरा नाम] सेल्फ-बालास्ट एलईडी लैंप का/के निर्माता/आयातक हूं/हैं, और जो ब्रांड [कंपनी का नाम पूरे पते के साथ] के साथ कारोबार करते हैं, एतद द्वारा ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (सेल्फ-बालास्ट एलईडी लैंप के लेबल पर संप्रदर्शन का विवरण और तरीका) विनियम, 2017 में निर्दिष्ट अनुसार सेल्फ-बालास्ट एलईडी लैंपों पर लेबल लगाने की अनुज्ञा के लिए आवेदन करते हैं, जो तारीख से स्टार लेवल में परिवर्तित होंगे।
- 2. उपरोक्त उपकरण [व्यक्ति या फर्म का पूरा नाम] द्वारा निर्मित या आयात किया जाता है और (कारखाने का नाम और पता) में निर्मित या (आयातक का नाम और पता) से आयात किया जाता है;
- 3. नए स्टार स्तर के अनुरूप: मैं/हम तालिका के अनुसार तालिका परिवर्तन के अनुरूप हैं, जैसा कि सेल्फ-बालास्ट एलईडी लैंप के लिए एस.ओ. नंबरतारीख में निर्दिष्ट है। उपरोक्त उपकरण (जो पहले अनुमोदित किया गया था) के संबंध में ब्यूरो के अनुमोदन की एक प्रति संलग्न है।
- 4. सेल्फ-बालास्ट एलईडी लैंप के संबंध में ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के लेबल (स्टार लेवल चेंज के संशोधन के अनुसार) की एक प्रति संलग्न है।
- 5. स्टार लेवल चेंज के संशोधन के अनुसार उपकरण/मॉडल का विवरण

मॉडल का नाम - _____

विवरण	घोषित वेल्यू	
वाटेज (वाट)		
ल्युमिनस फ्लक्स (लुमिन्स)		
ल्युमिनस प्रभावकारिता (लुमिन्स/वाट)		
स्टार रेटिंग	(मौजूदा स्टार लेवल के अनुसार)	(संशोधित स्टार लेवल के अनुसार)

- 6. मैं/हम मैन्युअल एप्लिकेशन के साथ-साथ ऑनलाइन वेब पोर्टल में स्टार स्तर को [मौजूदा स्टार लेबल स्तर] से [संशोधित स्टार लेबल स्तर] में बदलने के लिए सहमत हूं/हैं।
- 7. मैंने उक्त सेल्फ-बालास्ट एलईडी लैंप मॉडल के लिए आज तक का अपना त्रैमासिक उत्पादन डेटा और लेबलिंग फीस जमा कर दिया है।
- 8. मैं/हम ब्यूरो द्वारा निर्दिष्ट सभी नियमों और शर्तों का पालन करने और ब्यूरो द्वारा की जाने वाली किसी भी जांच के मामले में आवश्यक सहायता/सहयोग देने के लिए सहमत हैं।

- 9. मैं/हम सत्यापन और चुनौती परीक्षण के लिए नमूने के चयन के लिए ऊर्जा दक्षता ब्यूरो को अधिकृत करते हैं और इस संबंध में ब्यूरो के निर्देशों का पालन करने के लिए सहमत हैं।
- 10. मैं/हम वचन देते हैं कि इस आवेदन में प्रदान की गई जानकारी मेरे/हमारे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार सही है, और यदि आपूर्ति की गई कोई भी जानकारी गलत पाई जाती है, तो आवेदन को तत्काल अस्वीकार कर दिया जा सकता है।

कोई भी जानकारी गलत पाई जाती है, तो आवंदन को	'तत्काल अस्वीकार कर दिया जा सकता है।
तारीख:	
दिन(वर्ष)	
	हस्ताक्षर
	नाम
	पदनाम
	कृते और उनकी ओर से
	(फर्म का नाम)
	फर्म की मुहर
	प्ररूप V
	[विनियम 11 (3) देखें]
अनुज्ञापत्रधार	क को चेलेंज टेस्ट/द्वितीय टेस्ट की सूचना
सेवा में,	नई दिल्ली, तारीख
** *	लैंप के लेबल पर उनके संप्रदर्शन करने का विवरण और रीति) विनियम, 2023 के
<u> </u>	ो पत्र संख्यातारीख उसमें निर्दिष्ट नियमों और शर्तों के अनुपालन के
अधीन ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के माध्यम से सेल्प	5-बालास्ट एलईडी लैंप पर लेबल लगाने की अनुज्ञा दी गई थी।
2. ब्यूरो ने, आपके अधिकृत वितरक/डीलर/र	बुदरा विक्रेता से चालान संख्या तारीख रुपए मूल्य पर और

- 2. ब्यूरो ने, आपके अधिकृत वितरक/डीलर/खुदरा विक्रेता से चालान संख्या तारीख रुपए मूल्य पर और नमूना तारीख को स्वत: परीक्षण या चुनौती परीक्षण के प्रयोजन के लिए ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (सेल्फ-बालास्ट एलईडी लैंप के लेबल पर उनके संप्रदर्शन करने का विवरण और रीति) विनियम, 2023 के विनियम 11 के तहत, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो स्टार लेबल वाले सेल्फ-बालास्ट एलईडी लैंप खरीदे थे। उपरोक्त विनियमों के विनियम 3 के तहत लेबल पर प्रदर्शित विवरणों के सत्यापन के लिए ब्यूरो द्वारा नियुक्त एक एजेंसी मैसर्स द्वारा नमूने खरीदे गए थे, जो आपके द्वारा पूर्वोक्त खरीदे गए सेल्फ-बालास्ट एलईडी लैंपों पर चिपकाए गए थे। मैसर्स द्वारा सीरियल नंबर ------- द्वारा विधिवत सील किया गया नमूना मैसर्स से प्राप्त किया गया था। (वितरक, डीलर, खुदरा विक्रेता का नाम) सत्यापन एजेंसी के विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर के तहत।
- 3. ब्यूरो ने अधिसूचना संख्या एसओ......तारीख..... के पैरा 3, 4 एवं 5 में इंगित परीक्षण प्रक्रिया अधिसूचना संख्या एसओ. के तहत अपनी पूर्वोक्त सत्यापन एजेंसी के माध्यम से पैरा 2 में संदर्भित नमूने को मैसर्स------, परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशालाओं के लिए एक राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड के अनुसार परीक्षण करने के लिए मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला में पहुँचाया था।
- 4. उत्पाद का विवरण और स्वत: परीक्षण के परिणाम (यदि लागू हो) इस पत्र के साथ संलग्न है। इसलिए, अब ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के विनियम 11 के उप-विनियम (1) के प्रावधानों के अनुसरण में (सेल्फ-बालास्ट एलईडी लैंप के लेबल पर उनके संप्रदर्शन करने का विवरण और रीति)विनियम, 2023, ब्यूरो स्वप्नेरणा से(तारीख) को........(प्रयोगशाला का नाम), परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशालाओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त परीक्षण/चुनौती परीक्षण (यथा लागू) का संचालन कर रहा है।
- 5. ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के विनियम 11 के उप-विनियम (4) के प्रावधानों के अनुसार (सेल्फ-बालास्ट एलईडी लैंप के लेबल पर

उनके संप्रदर्शन करने का विवरण और रीति) विनियम, 2023, ब्यूरो इसके द्वारा सूचित करता है -

- (i) उपरोक्त निर्दिष्ट तारीख पर चुनौती परीक्षण/द्वितीय परीक्षण देखने के लिए किसी अधिकारी को नामांकित अधिकारी के रूप में, नाम, पदनाम और हस्ताक्षर (मूल रूप में) दर्शाते हुए प्राधिकरण पत्र के साथ नामित करें (पत्र कंपनी के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित और मुहर सहित होना चाहिए)।
- (ii) इस पत्र के जारी होने की तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर खरीद, परिवहन, परीक्षण और अन्य आकस्मिक खर्चों की लागत जमा करें जैसा कि अनुबंध में उल्लेख किया गया है (खर्च इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से जमा किया जाएगा)।
- 6. कृपया नोट करें कि ब्यूरो चुनौती परीक्षण या द्वितीय परीक्षण द्वारा सत्यापन जारी रखेगा, भले ही उपरोक्त खर्च समय पर नहीं किए गए हों या अधिकारियों को निर्दिष्ट अनुसार नामित नहीं किया गया हो और इस मामले में ब्यूरो, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (सेल्फ-बालास्ट एलईडी लैंप के लेबल पर उनके संप्रदर्शन करने का विवरण और रीति) विनियम, 2023 के नियम 11 के उप-नियम (5) के अंतर्गत अनुवर्ती कार्रवाई करेगा।
- 7. वर्ष के मास....... की तारीख...... को मुहर सहित हस्ताक्षर।.

(सचिव)

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

अनुलग्नक:

- 1. उत्पाद/स्वतः प्रेरित परीक्षण परिणाम
- 2. अनुलग्नक V(क)
- 3. व्यय से संबंधित बीजक

अनुलग्नक

[प्ररूप V का पैरा 5 देखें]

उत्पाद की जानकारी

1. चैलेंज टेस्ट/द्वितीय टेस्ट के लिए चुने गए उत्पाद या उपकरण का ब्यौरा

ब्रांड नाम:	
विशिष्ट लेबल सीरीज कोड :	
मॉडल नाम/मॉडल संख्या :	
रेटिड वोल्टेज या वोल्टेज रेंज	
रेटिड वॉटेज (वॉट)	
रेटिड ल्युमिन्स फ्लक्स (लुमिन्स)	
रेटिड ल्युमिन्स प्रभावकारिता (लुमिन्स/वॉट)	
स्टार रेटिंग	

1. ब्यूरो के पास जमा कराई गई राशि:

विवरण	संख्या/व्यय (भारतीय रुपए में)
नमूनों की संख्या	
लागत प्रति नमूना	
कुल क्रय लागत	
कुल परीक्षण फीस	
परिवहन फीस, (यदि लागू हो)	

अन्य (यदि लागू हो)	
अनुज्ञापत्रधारक द्वारा अदा की जाने वाली	
कुल राशि	

2. स्वतः प्रेरित परीक्षण का परिणाम (यदि लागू हो):

क्र सं	ब्रांड	मॉडल नाम/संख्या	मापित मान		घोषित मूल्य	अभ्युक्ति	
			मापित वाटेज (वॉट)		रेटिड वाटेड (वॉट)		
			मापित ल्युमिन्स (लुमिन्स)		रेटिड ल्युमिन्स फ्लक्स (लुमिन्स)		
			मापित ल्युमिन्स प्रभावकारिता (लुमिन/वॉट)		रेटिड ल्युमिन्स प्रभावकारिता (लुमिन/वॉट)		

तारीख:....

(सचिव)

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

प्ररूप **V**

[नियम 11 का उपनियम 5]

द्वितीय जांच परीक्षण विफल होने पर अनुज्ञापत्रधारक को निर्देश

सेवा में नई दिल्ली, तारीख ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (सेल्फ-बालास्ट एलईडी लैंप के लेबल पर उनके संप्रदर्शन करने का विवरण और रीति) विनियम, 2023 के विनियम 7 के प्रावधानों के अनुसार, आपको ऊर्जा ब्यूरो के पत्र संख्या तारीख के माध्यम से उसमें निर्दिष्ट नियमों और शर्तों के अनुपालन के अधीन सेल्फ-बालास्ट एलईडी लैंप पर लेबल लगाने की अनुज्ञा दी गई थी।

- 3. ब्यूरो ने अपनी उक्त पुष्टि एजेंसी के माध्यम से पैरा 2 में उल्लिखित सैंपल को मेसर्स......., राष्ट्रीय परीक्षण और अंशापन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड से मान्य प्रयोगशाला के पास, तारीखके एस.ओ. संख्या......के पैरा 4 और 5 इंगित जांच प्रक्रिया के अनुसार परीक्षण और तारीखकी एसओ संख्या.......के अनुलग्नक में दिये गये प्ररूप.......के अनुसार परीक्षण रिपोर्ट देने के लिये के लिये भेजा था।
- 5. दूसरे पृष्टि परीक्षण के लिये सैंपल तारीख....... हमारी अधिकृत एजेंसी मेसर्स......के द्वारा लिया गया था और इसे हमारी अधिकृत एजेंसी...... द्वारा विधिवत सीलबंद कर राष्ट्रीय परीक्षण और अंशापन प्रयोगशाला बोर्ड से मान्य प्रयोगशाला को भेज दिया गया था और पृष्टि एजेंसी के अधिकृत प्रतिनिधि और आपके प्रतिनिधियों के हस्ताक्षरों से प्राप्त इस सैंपल पर विशिष्ट पहचान क्रम संख्या दी गयी थी।
- 6. **राष्ट्रीय परीक्षण और अंशापन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड** द्वारा मान्य प्रयोगशाला के सक्षम प्राधिकारी द्वारा परीक्षित और हस्ताक्षरित, दूसरे परीक्षण के जांच परिणाम संलग्न हैं। जांच रिपोर्ट पर दूसरे परीक्षण के साक्षी के रूप में आपके अधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर भी हैं। जांच परिणाम इस बात की पुष्टि करते हैं कि परीक्षण तारीख......की एसओ संख्या........में दिये गये अपेक्षित

मानदंड और मानक तथा विनिर्मित/ आयातित और बाजार में बेचे गये सेल्फ बालास्ट एलईडी लैंपों पर लगे लेबल पर ब्योरा प्रदर्शित करने के लिये आपको दी गयी अनुज्ञा से संबंधित नियम और शर्तों को पूरा करने में विफल रहे।

- 7. इसलिये ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (सेल्फ-बालास्ट एलईडी लैंप के लेबल पर उनके संप्रदर्शन करने का विवरण और रीति) (सेल्फ-बालास्ट एलईडी लैंप के लेबल पर उनके संप्रदर्शन करने का विवरण और रीति) विनियम, 2023 के विनियम 11 के उपविनियम 5 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए ब्यूरो निर्देश देता है-
 - सेल्फ बालास्ट लैंप के लेबल पर उनके संप्रदर्शन स्टार लेवल सही करें या परीक्षण में पायी गयी त्रृटियों और ख़ामियों को दूर करें ;
 - ब्यूरो के निर्देशों के अनुपालन में बाजार से सभी स्टॉक वापस लें;
 - (iii) विज्ञापन सामग्री में दिया गया विवरण बदलें।
- आपको यह पत्र जारी होने की तारीख से दो महीने के अंदर उपर्युक्त संशोधनात्मक कार्रवाई पूरी करने और दो महीने पूरे होने पर 8. 10 दिन के अंदर यानी.....तक प्ररूप VI में अनुपालन रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया जाता है। यदि इस तारीख तक अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त नहीं होती है तो ब्युरो ऊर्जा दक्षता ब्युरो (सेल्फ बालास्ट एलईडी लैंप के लेबल पर उनके संप्रदर्शन करने **का विवरण और रीति) विनियम. 2023** के विनियम 11 के उपविनियम (6) के खंड (ख) के तहत कार्रवाई शरू करेगा।
- ब्यूरो इस मामले में ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (सेल्फ-बालास्ट एलईडी लैंप के लेबल पर उनके संप्रदर्शन करने का विवरण और रीति) विनियम, 2023 के विनियम 11 के उपविनियम (5), (6), (7) और (8) के अनुसार आगे की कार्रवाई करेगा।

सचिव

ऊर्जा दक्षता ब्युरो

संलग्न

- 1. विफल मॉडल का परीक्षण रिपोर्ट
- 2. विनिर्माता के साथ पत्राचार

प्ररूप VI

(विनियम 11 का उपनियम (6) देखें) कार्रवाई रिपोर्ट (संगठन के लेटर हेड पर दिया जाय)

सेवा में तारीख सचिव.

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

(विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार)

चौथा तल, सेवा भवन,

सेक्टर 1, आर.के.पुरम,

नयी दिल्ली- 110066 भारत

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (सेल्फ-बालास्ट एलईडी लैंप के लेबल पर उनके संप्रदर्शन करने का विवरण और रीति) विनियम, 2023 के विनियम 7 के प्रावधानों के अनुसार हम मेसर्स सेल्फ बालास्ट लैंप के विनिर्माताओं को ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के तारीख.......की पत्र- संख्या द्वारा मॉडल संख्याके लिये स्टार लेवलऊर्जा खपत मानक के अनुरूप, सेल्फ बालास्ट एलईडी लैंप पर लेबल लगाने की अनुज्ञा दी गयी थी।

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (सेल्फ-बालास्ट एलईडी लैंप के लेबल पर उनके संप्रदर्शन करने का विवरण और रीति) विनियम, 2023 के विनियम 11 के उपविनियम (5) के प्रावधानों के अनुसार हमें ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के तारीख......की पत्र- संख्या......द्वारा आवश्यक सुधार कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया था। हम घोषित करते हैं कि ब्यूरो के निर्देशानुसार हमारी और से निम्नलिखित कार्रवाई की गयी है।

	निर्देशित कार्रवाई	स्थिति	की गयी कार्रवाई
(i)	ब्यूरो के निर्देशों के अनुपालन में सेल्फ बालास्ट एलईडी लैंपो के लेबल पर प्रदर्शित स्टार लेवल सही करें	हां/नहीं/लागू नहीं	स्टार लेवल बदलकरस्टार सेस्टार तारीख से कर दिया गया है।
(ii)	ब्यूरो के निर्देशों के अनुपालन में बाजार से	हां/नहीं/लागू नहीं	ब्यूरो के निर्देशों के अनुपालन में बाजार से

		सभी स्टॉक हटा लें, और		सभी स्टॉक हटा लिये गये हैं
(i	iii)	विज्ञापन सामग्री पर प्रदर्शित ब्योरा बदलें	हां/नहीं/लागू नहीं	हां/नहीं/लागू नहीं


उपर्युक्त घोषणा हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है


हस्ताक्षर
नाम
पद
कृते एवं ओर से
कंपनी / फर्म का नाम
कंपनी / फर्म की महर


अनुसूची (विनियम 3 का उपविनियम (2) देखें)

सेल्फ बालास्ट एलईडी लैंप के लेबल पर प्रदर्शित किया जाने वाला विवरण

(क) लेबल डिजाइन,आकार,रंग योजना और लेबल की विषय वस्तु में शामिल होना चाहियेः लेबल का निम्नानुसार विमितीय डिजाइन









8.5 mm

लैंप पर अंकित किये जाने के लिये लेबल का आकार और क्यूआर कोड

(ii) लेबल के लिये निम्नानुसार रंग योजना, इस प्रकार





रंगत (एच) -2390 संतृप्ति (एस): 64% चमकीलापन (बी): 59%

ज्योतिर्मयता या हल्कापन (एल): 28, रंग संबधी घटक - ए:24 बी:54

लाल (आर): 54 हरा (जी): 55 नीला (बी): 151

सियान (सी): 97% मैजेंटा (एम): 95% पीला (वाई): 6% काला (के): 1%

वेब रंग कोड - # 363797:

हरा-

रंगत (एच) -1500 संतृप्ति (एस): 10% चमकीलापन (बी): 67%,


ज्योतिर्मयता या हल्कापन (एल): 61, रंग संबंधी घटक- ए:53 बी:32

लाल (आर): 0 हरा (जी): 170 नीला (बी): 87

सियान (सी): 81% मैजेंटा (एम): 10% पीला (वाई): 90% काला (के): 1%

वेब रंग कोड - # 00एए56;

(iii) निम्नांकित लेबल सेल्फ-बालास्ट एलईडी लैंप पर चिपकाया जाएगा:-





(2) लेबल सामग्री

लेबल टिकाऊ कार्डबोर्ड का बना होना चाहिये, इसे एक स्विंग टैग के रूप में लगाया जाना चाहिये, या अपने आप चिपकने वाला होना चाहिये। इसे लेबल के लिये दर्शाये गये विमितीय डिजाइन की रूप रेखा में से किसी एक के अनुसार काटा जाना चाहिये।

BUREAU OF ENERGY EFFICIENCY

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March, 2023

No. BEE/S&L/LED/52/2023.—The following draft of certain regulations which the Bureau with the previous approval of the Central Government proposes to amend, that is the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Self-ballasted LED lamps), Amendment Regulations 2018., in exercise of the powers conferred by clause (i) of sub-section (2) of section 58 read with clause (n) of sub-section (2) of section 13 of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001), is hereby published as required by sub-section (1) of section 58 of the said Act for the information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft regulations shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of thirty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the public;

Objections or suggestions, if any, may be addressed to the Director-General of Bureau of Energy Efficiency, Ministry of Power, 4th Floor, Sewa Bhawan, R.K.Puram, Sector-1, New Delhi-110066;

Objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft regulations before the expiry of the period of thirty days specified in para 1 above shall be taken into consideration by the Bureau of Energy Efficiency.

- Short title and commencement. (1) These regulations may be called the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Self-ballasted LED lamps), (Amendment) Regulations, 2023.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- **2. Definition:** (1) In these regulations, unless the context otherwise requires,
 - (a) "Act" means the Energy Conservation Act, 2001(52 of 2001);
 - (b) "Family of models" means group of models for which all the performance parameters are same;
 - (c) "Form" means a form appended to these regulations;
 - (d) "label" means any written, printed, marked, stamped or graphic matter affixed to, or appearing upon the self-ballasted LED lamp;
 - (e) "label period" means the validity period of the luminous efficacy under energy consumption standard notified by the Central Government under clause (a) of section 14 of the Act:

Provided that if, the end period of the validity period of the luminous efficacy is not notified, it shall be deemed to be valid until new values for the same are notified by the Central Government;

- (f) "permittee" means a person or agency to whom permission has been granted to affix label under regulation 7;
- (g) "Schedule" means the schedule annexed to these regulations;
- (h) "self-ballasted LED lamp" means an appliance as specified in the notification under clause (b) of section 14 of the Act;
- (i) "star rating or star level" means the grade of energy efficiency displayed on the label of the self-ballasted LED lamp based on luminous efficacy standard notified by the Central Government under clause (a) of section 14 of the Act;
- (j) "trader or seller" in relation to any labelled self-ballasted LED lamp means a person who sells or distributes such self-ballasted LED lamp and includes shopkeeper, trader, manufacturer and permittee who has been given permission to affix label on such self-ballasted LED lamp.
- (2) Words and expressions used herein and not defined, but defined in the Act, shall have meanings respectively assigned to them in the Act.
- **3. Particulars to be displayed on label. -** (1) On every self-ballasted LED lamp, the following particulars shall be displayed on its label, namely:
 - (a) the logo of the Bureau of Energy Efficiency;
 - (b) name of manufacturer or importer and brand;
 - (c) trade name and number;

- (d) model and year of manufacturing or import;
- (e) unique series code;
- (f) power consumption in watts;
- (g) luminous flux in lumens;
- (h) luminous efficacy in lm/W;
- (i) star level of self-ballasted LED lamp; and
- (j) label period;
- (k) electricity savings in kWh;
- (1) CO₂ emission reduction in KgCO₂
- (2) The design, colour, size and content of label shall be as specified in the Schedule annexed to these regulations.
- **4. Time limit for display of labels.** (1) A label containing all the particulars specified in regulation 3 shall be displayed on every self-ballasted LED lamp within a period of six months from the date of coming into force of these regulations.
- (2) On and from commencement of revised energy consumption standards notified by the Central Government under clause (a) of section 14 of the Act, every permittee or trader or seller-
 - (a) shall not produce the self-ballasted LED lamp with the previous energy consumption standards;
 - (b) shall display revised star level and label period with the revised energy consumption standard and the manufacturing year of the self-ballasted LED lamp in synchronisation with revised energy consumption standards;
 - (c) shall take necessary preparatory steps including awareness of the dealers, retailers, requisite publicity for their education as well as for the education of the consumers are well planned and action taken in advance.

5. Manner of display of label. —

- (1) There shall be a label on every self-ballasted LED lamp along with QR code which shall be displayed at the point of sale and such label shall be affixed on the self-ballasted LED lamp in the following manner, namely:-
 - (a) self-adhesive label along with QR code printed on packaging;
 - (b) the star marking as per the rating shall be stamped or printed on the lamp cap of self-ballasted LED lamp; and
 - (c) the size of the stamp for star marking shall be 11.5 millimetre height x 8.5 millimetre width and for QR code it shall be 8.5 millimetre height x 8.5 millimetre width on the LED lamps.
- **6. Permission for display of label**. (1) No star label shall be affixed on a self-ballasted LED lamp without obtaining the prior permission of the Bureau.
 - (2) Company registration. For the purposes of obtaining permission of the Bureau, every brand shall be registered separately as specified in Form I (A), accompanied by a label security fee of one lakh rupees, payable by electronic mode of payment:

Provided that in case of small scale industry, the label security fee shall be twenty five thousand rupees only.

- (3) Model registration. Every application of the permittee under sub-regulation (2) shall be accompanied by—
 - (a) an application fee of two thousand rupees per model, payable by electronic mode of payment; and
 - (b) documents specified in Form I.
- **7. Grant of permission.-** (1) On receipt of an application under regulation 6 and after being satisfied that all requirements therein are complied with, the Bureau may, within a period as specified in its Manual on standards and labelling, subject to such terms and conditions as specified in regulation 8,
 - (a) register the brand in Form II-(A) in electronic form; and
 - (b) grant permission for affixing label on self-ballasted LED lamp in Form II in electronic form.
 - (2) The Bureau shall maintain a register in Form III and enter the name of the permittee therein.
 - (3) The permission so granted under sub-regulation (1) shall be valid for such period till which the star level specified by the energy consumption standard as notified by the Central Government under clause (a) of section 14 is in force.

(4) In case of revision of star rating plan, an application for renewal of permission shall be made by the permittee not later than one month before its expiry and shall be accompanied by a fee of rupees one thousand payable in electronic mode in favour of the Bureau of Energy Efficiency, New Delhi.

Provided that in case of extension of star rating plan, the said renewal fee of rupees one thousand shall be exempted.

- (5) No application shall be renewed after expiry of validity period, in which case the permittee shall make a fresh application.
- (6) On receipt of application for renewal under sub-regulation (4) and after being satisfied that all requirements are complied with, the Bureau may, within a period of one month from the date of such receipt, renew permission in Form II.
- (7) The permittee who seeks permission for continuance to affix label on the existing model of the self-ballasted LED lamp from the date from which the revised star level comes into force shall submit only a declaration in Form IV.
- (8) The permittee shall seek permission to affix label afresh, if new model of the self-ballasted LED lamp is planned to be launched to synchronise with the revised star level and application for such permission shall be made six months in advance of coming into force of the revised star level.
- **8. Terms and conditions for display of particulars on label**.- Every permittee, trader and seller shall comply with the following terms and conditions in displaying the particulars on label, namely:
 - (a) the star level displayed on the label of self-ballasted LED lamp shall conform to energy consumption standards for self-ballasted LED lamp notified by the Central Government under clause (a) of section 14 of the Act;
 - (b) the label shall be affixed only on such model of self-ballasted LED lamp for which permission has been granted;
 - (c) the label shall be printed and affixed on the self-ballasted LED lamp at the cost of permittee;
 - (d) the permittee, trader and seller shall ensure that the star level displayed on the label of self-ballasted LED lamp shall be maintained at all time;
 - (e) the permittee shall pay the label fee as specified in regulation 9;
 - (f) the permittee shall furnish to the Bureau a statement containing details of production of labelled equipment and the accrued labeling fee due for each quarter within the following month of the close of each quarter of the financial year;
 - (g) the permittee shall furnish to the Bureau an updated list of authorised distributors, dealers, retailers, sellers appointed to sell their labelled products by 30^{th} day of April of each year; and
 - (h) the permittee, trader and seller shall comply with such other terms and conditions which the Bureau shall specify including those contained in the Bureau's Manual on Standard and Labelling.
- **9. Label fee.** (1) Every permittee shall pay to the Bureau a label fee of five paisa for each label affixed on the Self-ballasted LED lamps.
 - (2) The label fee specified under sub-regulation (1) shall be paid annually within one month from the date of closure of each financial year:

Provided that on failure to pay the label fee within the period so specified, the Bureau may recover the amount due with interest thereon at ten percent per annum from the label security fee made under clause (b) of sub-regulation (3) of regulation 6, and if complete labeling fees are not recovered within one year of the last date of submission, the Bureau may cancel all labels granted to the permittee and publish the name of the permittee in the newspapers as a defaulter.

- **10. Refund of label security fee.** Subject to the provisions of sub-regulation (2) of regulation 9, a permittee shall be entitled to a refund of the label security fee, on ceasing to manufacture Self-ballasted LED lamps.
- **11. Verification by Bureau.** (1) The Bureau or its designated agency may, either suo motu, or on a complaint received by it, carry out verification to ensure that the self-ballasted LED lamp conforms to the star level and other particulars displayed on its label and that it complies with the other terms and conditions of permission.
 - (2) For the purpose of verification, samples shall be picked up at random by Bureau or its designated agency from the manufacturing facility, warehouse or the retail outlet as it deems fit.

- (3) Where, upon a complaint received under sub-regulation (1), the Bureau is required to carry out verification by challenge testing the self-ballasted LED lamp in an independent laboratory duly accredited by National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories, a notice shall be issued to the permittee in form V for carrying out such testing and the complainant shall be called upon to deposit, such expenses relating to sample cost, testing, transportation and other incidental expenses with the Bureau, within such time, as may be determined by Bureau, provided that the sample drawn under challenge testing fails, all expenses towards the cost of sample, transportation of sample and the testing charges, shall be reimbursed by the permittee to the Bureau and the Bureau shall refund the aforesaid expenses to the complainant; and where the equipment passes the challenge test, then, the expenses deposited by the complainant shall stand forfeited.
- (4) Where samples of self-ballasted LED lamp used for testing fails the test during suo motu testing or challenge testing, the permittee shall be offer another opportunity and the Bureau shall conduct second test with twice the quantity of self-ballasted LED lamp used in the first test in an independent test laboratory which is different from the lab where the first check testing was conducted and shall be duly accredited by National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories at the cost of the permittee and the Bureau shall intimate the permittee in Form V to witness the challenge testing referred to in sub-regulation (3) or the second test referred to in sub-regulation (4) and the expenses to be made towards the procurement and testing of sample.
- (5) Where the second test fails, the Bureau shall,
 - (a) direct the permittee in Form VI, under intimation to all the State Designated Agencies, that the permittee shall, within a period of two months,-
 - (i) correct the star level displayed on the label of the self-ballasted LED lamp or remove the defects and deficiencies found during testing;
 - (ii) withdraw all the stocks from the market to comply with the directions of the Bureau; and
 - (iii) change the particulars displayed on advertising material;
 - (b) publish for the benefit of the consumers, the name of the concerned permittee, brand name, model name or model number, logo and other specifications in any national or regional daily newspaper and in any electronic means or in any other manner as it deems fit, within two months; and
 - (c) intimate to the concerned State Designated Agency to initiate adjudication proceedings against the permittee and the trader under section 27 of the Act.
- (6) The permittee shall within ten days of the conclusion of the period of two months referred to in sub-regulation (5),
 - (a) send the compliance report in Form VII to Bureau with respect to action taken in compliance with the direction; and
 - (b) in case the compliance report referred to in clause (a) is not received or received without complying to any of the direction within the specified period, it shall be deemed as non-compliance of the direction issued and orders to that effect shall be passed by the Bureau.
 - (7) The Bureau shall send a copy of the compliance report referred to in clause (a) and orders passed in clause (b) of sub-regulation (6) along with necessary documents to all the State Designated Agencies for the purpose of taking action under section 17 of the Act and enforcement of the orders passed under clause (b) of the said sub-regulation.
 - (8) Where the permittee fails to comply with the directions issued by the Bureau under sub-regulation (5), the Bureau under intimation to all State Designated Agencies, shall,
 - (a) withdraw the permission granted to the permittee under sub-regulation (1) of regulation 7;
 - (b) send report to the Central Government accompanied by the test report in support of the failure by the permittee to conform to the energy consumption standards notified by the Central Government under clause (a) of section 14 of the Act, the directions of the Bureau referred to in clause (a) of sub-regulation (6) for consideration and taking action under clause (c) of section 14 of the Act by the Central Government;
 - (c) publish for the benefit of the consumers, the name of any permittee, brand name, model name or model number, logo and other specification in any national or regional daily newspaper and in any electronic or in any other manner as it deems fit within two months; and
 - (d) intimate to the concerned State Designated Agencies to initiate further adjudication proceedings against the permittee and the trader under section 27 of the Act.
- **12. Cancellation of permission.**—The Bureau may cancel the permission granted under regulation 7, if the permittee,
 - (a) fails to comply with any of the terms and conditions specified under regulation 8;

- (b) fails to pay label fee within the period specified under regulation 9; and
- (c) does not comply with the direction issued under regulation 11.
- (d) Provided that no application shall be cancelled without giving permittee a reasonable opportunity of being heard in respect of cancellation of permission.

ABHAY BAKRE, Director General

[ADVT.-III/4/Exty./741/2022-23]

FORM I – (A)

[See regulation 6 (2)]

(To be printed in Company letter head)

Application for registration of brand of Self-ballasted LED lamps under the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Self-ballasted LED lamps) Regulations, 2023

The Director General

Bureau of Energy Efficiency,

(Ministry of Power, Government of India) 4th Floor, Sewa Bhawan,

Sector-I, R.K. Puram, New Delhi – 110 066, India.

The details of the information in respect of the equipment, company, manufacturing facility and payment is given in Annexure. A photocopy of the certificate of incorporation issued by the Registrar of Firms or Societies or Director of Industries (in case of Small Scale Units) or similar other documents authenticating the name of the firm and its manufacturing premises is enclosed.

- (a) Applicant/Authorised person: (Name and Designation) is authorised to make this application on behalf of the company/firm or other authorities. and will be responsible for accuracy of the information supplied with this application.
- (b) Contact person (Name and designation) is authorised to be the contact person for coordination with the Bureau in respect of this application and use of the label.
- (c) I/We undertake to intimate to the Bureau of any change in the authorized persons defined in (a) or (b) above
- 3. Production and sale figures of the said equipment and the value thereof to the best of my/our knowledge and estimates are as follows:

Year	Production	Sales	Maximum retail price of the equipment (Rs.)
Last year fromto			
Current year fromto (estimate)			

- 4. A label security fee of one lakh rupees or twenty-five thousand rupees as the case may be has been paid by electronic mode (To be filled only at the time of submission of label security fee).
- 5. I/We agree to pay the labelling fee as specified by the Bureau.
- 6. I/We agree to abide by all the terms and conditions specified by the Bureau and extend necessary assistance/co-operation to the Bureau in case of any enquiry to be made by it.
- 7. I/We authorise the Bureau of Energy Efficiency for selection of sample for verification and challenge testing and agree to abide by the directions of the Bureau in this regard.
- 8. I/We undertake that the information supplied in this application is accurate to the best of my knowledge, and if any of the information supplied is found to be incorrect; the application may be rejected forthwith.

 Dated thisDay of(Year)

Signature	
Name	

For and on behalf of Name of the firm) / SEAL OF FIRM
Name of the firm) / SEAL OF FIRM
]
]
1
1
es/No
able may be provided in case of more than one
Signature Name

Designation
For and on behalf of
(Name of the firm)
SEAL OF FIRM

FORM I

[See regulation 6]

Application for permission to affix label on Self-ballasted LED lamps under the Bureau of Energy Efficiency

(Particulars and Manner of their Display on Labels of Self-ballasted LED lamps) Regulations, 2023
The Director General
Bureau of Energy Efficiency
(Ministry of Power, Government of India)
4 th Floor, Sewa Bhawan,
Sector – 1, R.K.Puram
New Delhi-110 066
India.
I/ We are the manufacturers or importers of Self-ballasted LED lamps carrying out business at(full business address) under the style of (full name of individual or
firm) hereby apply for permission to affix label on Self-ballasted LED lamps as specified by the Bureau in the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Self-ballasted LED lamps) Regulations, 2023.
2. Manufacturing Facility: The above equipment is manufactured or imported by (Name of the company) and is manufactured at (Name and address of the factory)
3. Details of information: The details of the information in respect of the equipment, company, manufacturing facility, certification for the test products, labels and payment is given in Annexure. A photocopy of the certificate of incorporation issued by the Registrar of Firms or Societies/Director of Industries (in case of Small Scale Units) or similar other documents authenticating the name of the firm and its manufacturing premises is enclosed.
(a) Applicant/authorized person: (Name and Designation) is authorised to make this application on behalf of the company/firm/etc., and will be responsible for accuracy and authenticity of the information supplied with this application.
(b) Contact Person: (Name and Designation) is the authorized contact person for coordination with the Bureau in respect of this application and the use of the Label.
(c) I/We undertake to intimate to the Bureau of any change in the authorised persons defined in (a) or (b) above
4. Conformance to Standards: I/We conform to the Bureau of Indian Standard/other International Standards Body in respect of Quality System/Other standards in accordance with IS/Others (name and number of the standard) as specified in the notification on (title of the notification) for the (name of the equipment). A copy of the License / certificate in respect of the above equipment is enclosed.
I/We have made arrangement for testing at our in-house laboratory or at independent laboratory and Calibration Laboratories (NABL) or International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) or Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation (APLAC) or equivalent bodies for ensuring consistency in quality of the equipment as well as the scope of the relevant Indian Standard/International Standard Organization/International Electro technical Commission standards as specified in S.O
a) Test Standard (test procedure/ name/number)
b) Accreditation status:
c) Bureau of Energy Efficiency approval:
5. Production and sales figures of the said equipment and the value thereof to the best of my/our knowledge and estimates are as follows:

Year	Production	Sales	MRP of the equipment (Rs.)
Last year from to			
Current year from to(estimate)			

- 6. (a) An application fee of two thousand rupees paid by electronic mode.
- (b) A Label security fee of one lakh rupees or twenty five thousand rupees _____ has been paid by electronic mode.
- (c) I/We agree to pay the labelling fee as specified by the Bureau.
- 7. I/We agree to abide by all the terms and conditions specified by the Bureau and extend necessary assistance/co-operation to the bureau in case of any enquiry to be made by it.
- 8. I/We authorise the Bureau of Energy Efficiency for selection of sample for verification and challenge testing and agree to abide by the directions of the Bureau in this regard.
- 9. I/We undertake that the information provided in this application is accurate to the best of my knowledge, and if any of the information supplied is found to be incorrect; the application may be rejected forthwith

Dated t	this	day of	(Year)
Daicu		uav 01	. (I Cai)

Yours Faithfully,
Signature
Name
Designation
For and on behalf of
(Name of the firm)
SEAL OF FIRM

Annexure

[See para 3 of Form I]

Details of Information

1. Product/Equipment Detail

1.1 General (Complete the details as applicable)

Appliance and Type
Brand Name
Model Name and Number
Rated voltage or voltage range
Rated Wattage (Watts)
Rated luminous flux (Lumens)
Rated luminous efficacy (Lumens/Watt)
Star rating

1.2 Technical details (Complete the details as applicable)

a) Tested Values:

S.No	Measured Values	Rated Values
1.	Measured Wattage (Watts)	Rated Wattage (Watts)
2.	Measured Luminous flux (Lumens)	Rated Luminous flux (Lumens)
3.	Measured Luminous Efficacy (Lumen/Watt)	Rated Luminous Efficacy (Lumen/Watt)

2.Details of test laboratory

Name of the test laboratory	
Accreditation status	Yes/No
(i) For Laboratory	
(ii) For Relevant standards	
(Attach copy of the accreditation certificate)	
Validity of the accreditation	
(Attach supporting document)	
Address	
Pin Code	
State	
Phone No.	
Fax No.	
E-Mail	
Web site	


3. Labelling information

Date of commencement	
Number of labels applied for BEE for the first year -	
for the second year -	
for the third year -	
Product Serial No.	From To

4. Model Details:

Model	Model Name/Model Number

5. Specimen of the label along with QR code to be affixed on the self-ballasted LED lamp is shown below:





Date	Signature
	Name
	Designation
	For and on behalf of
	(Name of the firm) / SEAL OF FIRM
FORM $II - (A)$	
[See regulation 7 (1) (a)]	
Permission for registration of brand of Self-ballasted LED lamps (Particulars and Manner of their Display on Labels of Self-ball	
	New Delhi, dated
То	

- Pursuant to the provisions of regulation 7 of the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Form
 1A. What is the difference? Manner of their Display on Labels of Self-ballasted LED lamps)
 Regulations, 2023, the Bureau hereby permits you to register your brand as per details of approvals set out in Annexure to this letter.
- 2. This permission is subject to—
 - (a) the star level displayed on the label of the Self-ballasted LED lamps shall conform to energy consumption standards for Self-ballasted LED lamps notified under clause (a) of section 14 of the Act and terms and conditions provided in the aforesaid regulations;
 - (b) the stamping of the label only on such model of Self-ballasted LED lamps for which permission has been granted;
 - (c) the printing and affixture of the label on the Self-ballasted LED lamps at the cost of the permittee;
 - (d) the permittee ensuring that the star level displayed on the Self-ballasted LED lamps shall be maintained at all time;
 - (e) the permittee paying the label fee as specified by the Bureau;
 - (f) the permittee furnishing to the Bureau a statement containing details of the production of the labelled equipment and the accrued labelling fee due for each quarter within the following month of the close of each quarter of the financial year. The same details shall be furnished to the Bureau also through an automated system;
 - (g) the permittee making available such other details of Self-ballasted LED lamps as and when sought by the Bureau of which the permission has been granted.
- 3. The permittee shall not withdraw the registered brand and the Self-ballasted LED lamps from the market

[भाग III—खण्ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 35 during the validity period except with the prior approval of the Bureau. 4. The unique label series code assigned by the Bureau of Energy Efficiency for the brand is...... and should appear on the label as per the approved design. Signed, sealed and dated this...... day ofmonthyear. Yours faithfully (Secretary) Bureau of Energy Efficiency **Annexure** [See para 1 of Form II-(A)] **Details of Approvals** 1. Details of the company Name of the company Address Pin code State Phone number Fax number E-mail Website 2. Name of the brand registered: Unique series code: 4. Other details if applicable: Date: Yours faithfully, (Secretary)

FORM II

Bureau of Energy Efficiency

[Sub-regulation 7(1)(b)]

Permission / Renewal of Permission to affix label on Self-ballasted LED lamps under the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Self-ballasted LED lamps) Regulations, 2023

	New Delhi, dated the
То	

- Pursuant to the provisions of regulation 7 of the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Self-ballasted LED lamps) Regulations, 2023, the Bureau hereby permits you to affix label as per details of approvals set out in the Annexure to this letter.
 - 2. This permission is subject to—
 - (a) the star level displayed on the label of the Self-ballasted LED lamps shall conform to energy consumption standards for Self-ballasted LED lamps notified under clause (a) section 14 of the Act and terms and conditions provided in the aforesaid regulations;

- (b) the label shall be affixed only on such model of Self-ballasted LED lamps for which permission has been granted;
- (c) the label shall be printed and affixed on the Self-ballasted LED lamps at the cost of the permittee;
- (d) the permittee shall ensure that the star level displayed on the Self-ballasted LED lamps shall be maintained at all time;
- (e) the permittee shall pay the label fee of five paisa per label;
- (f) the permittee shall furnish to the Bureau a statement containing details of production of labelled equipment and the accrued labelling fee due for each quarter within the following month of the close of each quarter of the financial year. The same details shall be furnished to the Bureau also through automated systems;
- (g) the permittee shall make available such other details of Self-ballasted LED lamps as and when sought by the Bureau for which the permission has been granted.
- 4. The unique label series code assigned by Bureau of Energy Efficiency for the equipment is.....and should appear on the label as per the approved design.
- 5. Where the star level plans on review is modified by the Central Government, the star level of the Self-ballasted LED lamps shall stand modified as follows:-
 - (a) if new model is launched synchronizing with the revised star level, an application for such permission shall be made to Bureau six months in advance of the date from which new star level comes in to force;
 - (b) where the existing model is continued to give effect to the modified star level, only a declaration in Form IV shall be submitted to the Bureau.
- 6. Signed, sealed and dated this...... day of year.

(Secretary)

Bureau of Energy Efficiency

Annexure

[See para 1 of Form II]

Details of Approvals

1. Details of the equipment

- (a) Brand:
- (b) Model Details:

Model	Model Name	Model Number	

(c) Technical Specification:


Sl.No	Measured Values		Rated Values			
	Wattage (Watts)		Wattage (Watts)			
	Luminous flux (Lumens)	Luminous flux (Lumens)				
	Luminous Efficacy (Lumens/Watts)		Luminous Efficacy (Lumens/Watts)			

2. Label Details

Appliance and Type	

Name of the manufacturer/importer/Brand	
Model and Year of Manufacturing	
Star level	
Rated Wattage (Watts)	
Rated Luminous flux (Lumens)	
Rated Luminous Efficacy (Lumens/Watts)	
Label Period	
Unique Series Code	

- 3. The label design, size, colour scheme, material to be used for the label and the content of the label and colour scheme of the Bureau's logo shall be as specified in the Schedule of this regulation.
- 4. Specimen of the label duly approved by the Bureau to be affixed on the self-ballasted LED lamps is shown below (Separate specimens for family of models is annexed).





The unique label	series code	provided in the	ne letter	has to	be r	nentioned	in the	label	affixed	on the	Self-ba	allasted
LED lamps.												

Date

Yours faithfully

(Secretary)

BUREAU OF ENERGY EFFICIENCY

FORM III

[See sub-regulation (2) of regulation 7]

Register of Permittees to be maintained by Bureau of Energy Efficiency (template)

Sl. No.	Application	Name and	Details of	Star level or	Bureau of	Period for which
	No. and Date	details of the	equipment	Efficiency	Energy	the permission
	of Permission	permittee	for which	level	Efficiency	has been granted
		(Contact	the	declared	permission	
		Person,	permission		number and	
		Address, Pin	has been		unique label	
		Code, State,	granted		series	
		Phone No.,				
		Fax No., E-				
		mail,				
		Website)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

Amount of Label Security Fee	Label Security Fee received by (Electronic transaction (Details): Date:)		Details of Application Fee Amount received (Electronic transaction (Details) : Date :
(8)	(9)	(10)	(11)

	Amount of labeling fee payable to Bureau of Energy Efficiency for each financial year	received for each	Remarks
(12)	(13)	(14)	(15)

Form IV

[See sub-regulation (7) of regulation 7]

Declaration by Permittee seeking continuation of the permission to affix label on the existing model (For each different model, a separate letter shall be submitted along with respective Annexure)

(On the letter head of corporate body/Permittee)

Date:

To

The Director General

Bureau of Energy Efficiency

(Ministry of Power, Government of India)

4th Floor, Sewa Bhawan,

Sector 1, R.K.Puram,

New Delhi-110 066

India.

Sub: Application for permission to affix label vide Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Label of Self-ballasted LED Lamps) Regulations, 2017 on revision of star level effective from

- 2. The above equipment is manufactured or imported by [FULL NAME OF INDIVIDUAL OR FIRM] and is manufactured at (NAME AND ADDRESS OF FACTORY) or imported from (NAME AND ADDRESS OF IMPORTER);
- 3. Conformance to New star level: I/We conform to the table change as per TABLEas specified in the S.O. numberdated.......for self-ballasted LED lamps. A copy of the Bureau's approval in respect of the above equipment (which was earlier approved) is enclosed.
- 4. A copy of the Bureau of Energy Efficiency Label (as per revision of star level change) in respect of the self-ballasted LED lamps is enclosed.
- 5. Details of the Equipment / Model as per revision of star level

Model Name -	
--------------	--

Particulars	Declared Values			
Wattage (Watts)				
Luminous flux (Lumens)				
Luminous Efficacy (Lumens/Watts)				
Star Rating	(As per existing star level)	(As per the revised star level)		

- 6. I/We agree to change the star level from [EXISTING STAR LABEL LEVEL] To [REVISED STAR LABEL LEVEL] in manual application as well as in the online web portal.
- 7. I have submitted my quarterly production data and labelling fee till date for the said self-ballasted LED lamps model.
- 8. I/We agree to abide by all the terms and conditions specified by the Bureau and extend necessary assistance/cooperation to the Bureau in case of any enquiry to be made by it.
- 9. I/We authorise the Bureau of Energy Efficiency for selection of sample for verification and challenge testing and agree to abide by the directions of the Bureau in this regard.
- 10. I/We undertake that the information supplied in this application is accurate to the best of my/our knowledge, and should any of the information supplied is found to be incorrect, the application may be rejected forthwith.

Date:

Day of (Year)
Signature
Name
Designation
For and on behalf of
(Name of the firm)
SEAL OF FIRM

FORM V

[See regulation 11 (3)]

Intimation to permittee to witness Challenge test/Second test

Го	New Delhi, dated the

.....

- 2. The Bureau, under regulation 11 of the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Self-ballasted LED lamps) Regulations, 2023, had purchased a Bureau of Energy Efficiency star labelled Self-ballasted LED lamps from your authorized distributor/dealer/retailer vide Invoice numberdated....... for a price of Rs.............. and lifted as a sample dated ______ by _____ for the purpose of suo motu testing or challenge testing. The samples were purchased by M/s, an agency appointed by the Bureau for verification of the particulars displayed on the label under regulation 3 of the aforesaid regulations, affixed by you on the aforesaid purchased Self-ballasted LED lamps. The sample duly sealed by M/s....... bearing serial number------ was obtained from M/s.......(Name of the Distributor, dealer, retailer) under signatures of the duly authorized representative of the verification agency.
- 3. The Bureau through its aforesaid verification agency had transported the sample referred to in para 2 to M/s.-----, a National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories accredited laboratory for conducting tests in accordance with the test procedure indicated in paragraphs 3, 4 and 5 of the notification number S.O....dated...... for giving test report in accordance with the Form given in Annexure to the notification number S.O.
- 4. The details of the product and the *suo motu* test results (if applicable) is enclosed with this letter. Now, therefore in pursuance of the provisions of sub-regulation (1) of regulation 11 of the **Bureau of Energy Efficiency** (**Particulars and Manner of their Display on Labels of Self-ballasted LED lamps) Regulations, 2023**, the Bureau is conducting *suo motu* test/challenge test (as applicable) on(date) at(Name of laboratory), accredited by National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories.
- 5. Pursuant to the provisions of sub-regulation (4) of regulation 11of the **Bureau of Energy Efficiency** (Particulars and Manner of their Display on Labels of Self-ballasted LED lamps) Regulations, 2023, the Bureau hereby intimates to-
- (i) nominate an official to witness challenge test/second test on the above date specified along with an authorization letter indicating (in original) the name, designation and signature of the nominated official (the letter shall be duly signed and stamped by authorized signatory of the company).
- (ii) deposit such cost towards procurement, transportation, testing and other incidental expenses as mentioned in Annexure, within fifteen days from the date of issuance of this letter (the expenses shall be deposited through electronic mode).
- 6. You may note that the Bureau shall continue the verification by challenge test or second test, even if the aforementioned expenses are not made in time or the officials are not nominated as specified and shall take further follow up action in the matter in terms of sub-regulation (5) of regulation 11 of the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Self-ballasted LED lamps) Regulations, 2023.

1	Signed,	sealed a	and dated	l this	day of	month	year

(Secretary) Bureau of Energy Efficiency

Enclosures:

- 1. Details of product/ suo motu test results
- 2. Annexure V(a)
- 3. Invoice related to the expenses

Annexure

[See para 5 of Form V]

Details of Information

1. Product or equipment details picked up for challenge test/second test

Brand name:	
Unique label series code:	

[भाग	∭—खण्ड	4]	भारत का राजपत्र : ः	प्रसाधारण <u> </u>	41
Mo	del name	/Model nu	mber:		
Ra	ated volta	ge or volta	age range		
Rat	ed Watta	ge (Watts)			
Rat	ed lumin	ous flux (I	Lumens)		
Rat	ed lumin	ous efficac	cy (Lumens/Watt)		
Sta	r rating				
	1. A	mount to b	be deposited to the Bureau:		
		Details	N	umbers/ expenses (in Indian Rupee)	
Nui	mber of s	amples			
Cos	st per san	nple			
Tot	al purcha	sing cost			
Tot	al testing	charges			
		on charges	s (if		
	licable)	1: 11 \			
		plicable)	11. 4.		
	ar amoun mittee	t to be pai	d by the		
Per					
	2. R	esults of si	uo moto test (if applicable):		
~-		Model			D 1
Sl. No.	Brand	Name/	Measured Values	Declared Values	Remarks
110.		No.			
			Measured Wattage (Watts)	Rated Wattage (Watts)	
			Measured Luminous flux	Rated Luminous flux	
			(Lumens)	(Lumens)	
			Measured Luminous	Rated Luminous	
			Efficacy (Lumen/Watt)	Efficacy (Lumen/Watt)	
	Date:				
	Date	••			(Secretary)
				Bureau of E	nergy Efficiency
			FORM '		
			[See sub-regulation (5)	of regulation 11]	
			Direction to Permittee on failure	-	
То				New Delhi dated the	

.....

Pursuant to the provisions of regulation 7 of the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Self-ballasted LED lamps) Regulations, 2023, you were permitted to affix label on the Selfballasted LED lamps vide Bureau of Energy Efficiency letter No.dated...... subject to the compliance of the terms and conditions specified therein.

2. The Bureau, under Regulation ... of the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Self-ballasted LED lamps) Regulations, 2023, had purchased a Bureau of Energy Efficiency star labelled Self-ballasted LED lamps from your authorised Distributor, dealer, retailer vide Invoice numberdated for a price of Rs...... and lifted as a sample datedby M/s...., an agency appointed by the Bureau for verification of the particulars displayed on the label under regulation 3 of the aforesaid regulations, affixed by you on the aforesaid purchased Self-ballasted LED lamps. The sample duly sealed by M/s..... bearing serial number......was obtained from M/s......(Name of the Distributor, dealer, retailer) under signatures of the duly authorised representative of the verification Agency.

- 6. The Test results of second check testing are enclosed which are dully checked and counter signed by the competent authorised personnel of the National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories Accredited Laboratory. The test report is also duly signed by your authorised signatory as witness of 2nd check testing. The Test Results confirm that they failed to meet the requisite parameters and standards given in S.O.number dated, and the terms and conditions of the permission given to you for display of particulars on label affixed to the Self-ballasted LED lamps manufactured/imported and sold in the market .
- 7. Now, therefore in exercise of the power conferred clause (a) of sub-regulation (5) of regulation 11 of the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Self-ballasted LED lamps) Regulations, 2023, the Bureau hereby directs to:-
 - (i) correct the star level displayed on the label of the Self-ballasted LED lamps or remove the defects and deficiencies found during testing;
 - (ii) withdraw all the stocks from the market to comply with the directions of the Bureau; and
 - (iii) change the particulars displayed on advertising material.
- 9. The Bureau shall take further follow up action in the matter in terms of regulations (5) (6)(7) and (8) of regulation 11 of the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Self-ballasted LED lamps) Regulations, 2023.

Secretary,

Bureau of Energy Efficiency

Enclosures:

- 1. Test reports of the failed model
- 2. Correspondence with the manufacturer

Form VI

[See sub-regulation (6) of regulation 11]

Action Taken Report

(To be furnished on the letter head of the organisation)

To Dated.....

THE SECRETARY,

BUREAU OF ENERGY EFFICIENCY
(MINISTRY OF POWER, GOVERNMENT OF INDIA)
4TH FLOOR, SEWA BHAWAN,
SECTOR 1, R.K.PURAM,
NEW DELHI-110 066
INDIA.

Pursuant to	the prov	isions of r	egulatio	on 7 of the Burea	au of Ener	gy Efficienc	y (Particulars a	and Manner	r of their
Display	on	Labels	of	Self-ballasted	LED	lamps)	Regulations,	2023,	we
M/s					the manufa	cturer of Sel	f-ballasted LED	lamps were	permitted
				O lamps conformi r Nodat	_				
			_	lation (5) of regularies of Self-ballast				•	
			•	er number Energy Efficiency,			•		

	Action Directed	Status	Action Taken
(i)	Correct the star level displayed on the label of the Self-ballasted LED lamps to comply with the directions of the Bureau	Yes/No/NA	The star level has been corrected fromstar tostar with effect from (Date)
(ii)	Withdraw all the stocks from the market to comply with the directions of the Bureau. and	Yes/No/NA	All the stocks from the market have been withdrawn to comply with the directions of the Bureau.
(iii)	Change the particulars displayed on advertising material.	Yes/No/NA	Yes/No/NA

The above declaration is true to the best of our knowledge and belief.

Signature.....

Name.....

Designation.....

For and on behalf of......

Name of the Company/Firm etc


Seal of the Firm/Company".

Schedule


[See sub-regulation (2) of regulation 3]

Particulars to be displayed on labels of Self-ballasted LED lamps.

- (a) Label design, size, colour scheme and content of the label shall include:-
 - (i) the following dimensional design of label, namely:—



Dimension of the label and QR code to be stamped on the lamp:





BLUE -

Hue(H)-239° Saturation(S):64% Brightness(B):59%

Luminance or lightness(L):28, chromatic components -a:24 b:54

Red(R):54 Green(G):55 Blue(B):151

Cyan(C):97% Magenta(M):95% Yellow(Y):6% Black(K):1%


Web colour code - #363797

GREEN -

Hue(H)-150° Saturation(S):10% Brightness(B):67%, Luminance or lightness(L):61, chromatic components - a:-53 b:32, Red(R):0 Green(G):170 Blue(B):87

Cyan(C):81% Magenta(M):10% Yellow(Y):90% Black(K):1%, Web colour code - #00AA56;

(iii) following label to be affixed on Self-ballasted LED lamps:-





(2) Label Material

The label shall be of durable cardboard, if it is to be attached as a swing tag, or be self-adhesive and shall be cut to one of the outlines shown in dimension design scheme for the label".